

अध्याय-2

अध्याय-2

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.1.1 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), जबलपुर की स्थापना नवंबर 2001 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी) के विघटन फलस्वरूप, ऊर्जा विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी को मध्य प्रदेश राज्य में अतिरिक्त उच्च दाब¹ (ईएचटी) सब-स्टेशनों और 132, 220 और 400 किलो वोल्ट² (केव्ही) की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।

कम्पनी के मुख्य कार्य हैं (1) एक कुशल, समन्वित और आर्थिक अंतर-राज्य संचारण प्रणाली का विकास और रखरखाव; (2) एक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से लाइसेंसधारकों, कम्पनियों और उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस³ प्रदान करना; और (3) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू)⁴, जेनरेटिंग कम्पनियों और लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय में अंतरराज्यीय संचरण प्रणाली से संबंधित योजना बनाना।

2012-17 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने ट्रांसमिशन सिस्टम में सुधार और विस्तार के लिए ₹ 3,563.45 करोड़ के कार्य अनुबंध जारी किये।

संगठनात्मक संरचना

2.1.2 कम्पनी, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में है। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल में निहित है जिसमें आठ निदेशक सम्मिलित हैं। प्रबंध निदेशक (एमडी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो कम्पनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखभाल करते हैं। मुख्य अभियंता (योजना और रूपांकन) लंबी अवधि और वार्षिक योजनाओं, परियोजना प्रस्तावों, परियोजनाओं का सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की तैयारी और उन्हें संबंधित वित्त पोषण एजेंसियों से अनुमोदित कराने का कार्य करते हैं। मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) निविदा प्रक्रिया का कार्य करता है और सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध जारी करते हैं। मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) ईएचटी सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन का कार्य करते हैं। कम्पनी की संगठनात्मक संरचना नीचे चार्ट 2.1.1 में दी गई है।


¹ ईएचटी ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर विद्युत शक्ति को प्रेषित करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर केंद्रीय जेनरेटिंग स्टेशन से मुख्य सबस्टेशन तक।

² 1000 वोल्ट के बराबर बिजली की इकाई

³ "ओपन एक्सेस" का मतलब ट्रांसमिशन लाइनों या वितरण प्रणाली का किसी भी लाइसेंसधारक या उपभोक्ता या संबंधित सुविधाएं में लगे व्यक्ति द्वारा उचित आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ऐसी लाइनों या सिस्टम के साथ संबंधित सुविधाओं के लिए गैर-भेदभाव पूर्ण प्रावधान है।

⁴ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) है और इसे कनेक्टिविटी, दीर्घकालिक पहुंच और अंतर-राज्य संचरण प्रणाली के लिए मध्यम अवधि की ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

चार्ट 2.1.1 कम्पनी की संगठनात्मक संरचना



तकनीकी और गैर-तकनीकी कौशलों के संबंध में कम्पनी की स्वीकृत संख्या के साथ वास्तविक जनशक्ति की स्थिति तालिका क्रमांक 2.1.1 में दी गई है:

तालिका क्रमांक 2.1.1				
कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक जनशक्ति		
		नियमित	अनुबधित	योग
तकनीकी कर्मचारी	3,800	3,079	—	3,079
गैर तकनीकी कर्मचारी	2,062	1,012	303	1,315
योग	5,862	4,091	303	4,394

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- ट्रांसमिशन सिस्टम की निर्माण परियोजनाओं को अवधारणाबद्ध और आवश्यकता के आधार पर पहचाना गया और कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन की योजना पर्याप्त थी;
- प्रोजेक्ट को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार और समयबद्ध रूप से, पारदर्शी तरीके से जारी और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था;
- परियोजनाओं के लिए धन का आंकलन वास्तविक था, व्यवस्था और उपयोग कुशलतापूर्वक, मित्वययी और प्रभावी रूप से किया गया था;
- परियोजनाओं/कार्यों के कार्यान्वयन और लाभों की समीक्षा के लिए, एक उचित निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी, और क्या कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

लेखापरीक्षा के मानदंड

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंडों को निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया है:

- दीर्घकालिक योजना, वार्षिक योजना, परियोजना डीपीआर और पूंजी व्यय के लिए दिशानिर्देश;
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का ट्रांसमिशन योजना मानदंड का मैनुअल, सीईए (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 और ग्रिड कनेक्टिविटी मानक, 2007;
- भारत सरकार द्वारा गठित (फरवरी 2005) संचारण परियोजनाओं पर टास्क फोर्स की अनुशंसाएँ और कम्पनी/राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र;
- मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)/सीईए और निधि एजेंसियों द्वारा जारी मानदंड/दिशानिर्देश;
- निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडा/मिनट।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.5 कम्पनी के कार्यकाज पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), मध्य प्रदेश सरकार में सम्मिलित थी। सार्वजनिक उपक्रम पर समिति ने जून 2015 में प्रतिवेदन पर चर्चा की जिसकी सिफारिशों अप्राप्त है (मई 2018)।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में ईएचटी सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों (132 केव्ही, 220 केव्ही और 400 केव्ही) के निर्माण से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सब-स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बन्धित परियोजनाओं की योजना, क्रय, निर्माण और स्थापना सम्मिलित है। कम्पनी के मुख्यालय और चार⁵ (पांच में से) वृत्त कार्यालयों के साथ उनके आठ⁶ (11 में से) ईएचटी निर्माण संभागों को अभिलेखों की विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा ने 12 ईएचटी सब-स्टेशनों पर कम्पनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा अवधि (2012-17) के दौरान कम्पनी द्वारा प्रदान किए गए कुल 25 टर्नकी कार्य अनुबंध (कुल 46 टर्नकी कार्य अनुबंधों में से 54 प्रतिशत) जिनकी कुल कीमत ₹ 2,443.89 करोड़ थी (46 टर्नकी कार्य अनुबंधों के ₹ 3,544.94 करोड़ के कुल मूल्य का 69 प्रतिशत) और 13 अन्य कार्य अनुबंध (26 अन्य कार्य अनुबंधों में से 50 प्रतिशत) जिनकी कुल कीमत ₹ 14.62 करोड़ थी (26 अन्य कार्य अनुबंधों के ₹ 18.51 करोड़ के कुल मूल्य का 79 प्रतिशत) की नमूना जांच की।

नमूना जांच किए गए कार्य अनुबंधों पर 13 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ हैं और उनमें से अधिकतर इस प्रकृति की हैं जो कम्पनी द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिंबित कर सकती हैं, लेकिन नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं। इसलिए, कम्पनी उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे सभी अन्य कार्यों की आंतरिक रूप से जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है कि ये आवश्यकता और नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं।


⁵ जबलपुर, भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर

⁶ जबलपुर 1, जबलपुर 2, भोपाल 1, भोपाल 2, इंदौर, ग्वालियर 1, ग्वालियर 2 और इटारसी

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा के क्षेत्र और कार्यविधि इत्यादि, प्रवेश सम्मेलन (मार्च 2017) के दौरान ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और कम्पनी को बताई गई थी। मसौदा प्रतिवेदन कम्पनी को 30 अगस्त 2017 को जारी की गई थी और 13 दिसंबर 2017 को आयोजित निकास सम्मेलन में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और कम्पनी के प्रबंध निदेशक के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

ट्रांसमिशन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

2.1.6 बिजली के संचारण को उच्च वोल्टेज पर, आमतौर पर 132 केव्ही और उससे ऊपर, लंबी दूरी पर बिजली के विस्तृत हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईएचटी सब-स्टेशन, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने, विद्युत प्रणालियों को जोड़ने और सिस्टम के अंदर और बाहर स्विचिंग उपकरण की सुविधा है। बिजली संयंत्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पन्न विद्युत शक्ति को, संचरण हानि को कम करने और ग्रिड की दक्षता में वृद्धि के लिए, संचारण से पहले उच्च वोल्टेज तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं को वितरण के लिए वोल्टेज फिर से कम वोल्टेज तक नीचे लाया जाता है। वितरण प्रणाली में विशिष्ट वोल्टेज पर बिजली देने के लिए आवश्यक लाइन, खम्बे, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण सम्मिलित हैं। ट्रांसमिशन प्रक्रिया का एक चित्रमय निरूपण नीचे दिया गया है:



ट्रांसमिशन सिस्टम और क्षमता

2.1.7 ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रमुख तत्व ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन हैं, जो वितरण लाइसेंसियों के डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की ऊर्जा मांग को पूर्ण करते हैं। बिजली की बढ़ी मांग, नए सब-स्टेशनों का निर्माण करके, मौजूदा सब-स्टेशनों पर क्षमता जोड़ के और लोड केंद्रों में नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाकर, ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत कर पूर्ण करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुमानित लोड वृद्धि

परिदृश्यों के अनुसार, सिस्टम विस्तार की धीरे-धीरे योजना बनाते हैं। संचारण क्षमता⁷ में वृद्धि, सब-स्टेशनों की संख्या में वृद्धि, और संचारण नेटवर्क का विस्तार सहसंबंधित है। 31 मार्च 2017 को कम्पनी के ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्थिति तालिका क्रमांक 2.1.2 में दी गयी है।

तालिका क्रमांक 2.1.2				
क्र. स.	वोल्टेज	सब-स्टेशनों की संख्या और उनकी क्षमता		अति उच्च दाब लाइन्स (सर्किट किलोमीटर में)
		संख्या	मेगा वोल्ट एम्पियर में क्षमता	
1	400 केव्ही	9	7,350	3,075
2	220 केव्ही	71	21,990	12,324
3	132 केव्ही	250	24,056	16,910
4	66 केव्ही ⁸	1	20	61
योग		331	53,416	32,370

लेखापरीक्षा की समीक्षा अवधि (2012-13 से 2016-17) के दौरान, कम्पनी ने अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइनों के 5,251 सर्किट किलोमीटर⁹, 83 नए सब-स्टेशन और 17,852 एमव्हीए की संचारण क्षमता को जोड़ा।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी और उसके अधिकारियों द्वारा विस्तारित सहयोग और सहायता की अभिस्वीकृति करता है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

2.1.8 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये निष्कर्षों का निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

निर्माण कार्यों के निष्पादन में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

2.1.9 प्रबंधन गतिविधि के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी आवश्यक है। एक कुशल और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली, उद्देश्यों को समय पर पूर्ण करने में प्रबंधन की सहायता करती है और प्रक्रियाओं और वित्तीय अनुशासन के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

कम्पनी के अति उच्च दाब सब-स्टेशनों और संचारण लाइनों के निर्माण से संबंधित लेनदेन और अभिलेखों की समीक्षा करते समय लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र निम्नलिखित सीमा तक अपर्याप्त थे।

- कम्पनी में कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने की कोई प्रणाली नहीं है जिसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में कमी है। इसके अलावा, कार्यों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि, भूमि अधिग्रहण, ठेकेदार को सामग्री आपूर्ति, राईट ऑफ वे (आरओडब्लू) और ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन आदि को भी निदेशक मंडल को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, निदेशक मंडल परियोजनाओं की निगरानी में अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा।

प्रगति प्रतिवेदन और कार्यों के निष्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में कमी हुई।

⁷ ट्रांसमिशन क्षमता उस विद्युत शक्ति की मात्रा को संदर्भित करती है जिसे एक ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारित किया जा सकता है।

⁸ 61 किमी लम्बाई की एक 66 केव्ही की पुरानी लाइन।

⁹ ट्रांसमिशन लाइनों की लम्बाई सर्किट किलोमीटर में मापी जाती है।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि प्रमुख मुद्दों को निदेशक मंडल के नोटिस में लाया गया है और निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ ही अनुबंधों को समाप्त किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त टिप्पणी में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को निदेशक मंडल को सूचित नहीं किया गया है। उच्च प्रबंधन द्वारा परियोजनाओं की निगरानी के लिए केवल समापन मामलों को प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं था।

- कम्पनी ने सब-स्टेशन के अनुसार ट्रांसमिशन हानियों की गणना नहीं की है। इस कारण, ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे डीपीआर में प्रस्तावित नए सब-स्टेशनों की स्थापना करने से ट्रांसमिशन हानि में हुई कमी का आँकलन किया जा सके।

- अनुबंधों की प्रक्रियाओं और नियमों और शर्तों से विचलन के लिए अनुमोदन और/या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के दौरान, सक्षम प्राधिकारी, विशिष्ट कारणों या औचित्य को दर्ज करने की प्रणाली का पालन नहीं कर रहे थे, जैसा कि *कांडिकाओं 2.1.11, 2.1.13, 2.1.22, 2.1.25, 2.1.26 और 2.1.28* में चर्चा की गई है।

- कम्पनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी और इस गतिविधि को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आउटसोर्स किया गया था। लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान देखा कि आउटसोर्स किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपा गया कार्य का दायरा व्यापक नहीं था और कम्पनी ने इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का गंभीर विश्लेषण नहीं किया। इसके अलावा, चार्टर्ड एकाउंटेंट के निष्कर्ष मुख्य रूप से वाउचिंग, सांविधिक कटोत्रा जैसे कि प्रोविडेंट फंड, स्थापना से संबंधित मुद्दों आदि का न काटा जाना से संबंधित थे और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे निर्माण कार्यों के लिए निगरानी तंत्र में निम्नलिखित कमियों को देखा:

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में देरी

2.1.10 कम्पनी के निदेशक मंडल ने परियोजना की योजना और निगरानी सहित सभी परिचालन कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से कम्पनी में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, निर्णय लिया (नवंबर 2012), ताकि उसकी व्यावसायिक सूचना रिपोर्टिंग को मजबूत किया जा सके और वर्कफ्लो में सुधार और दक्षता में वृद्धि की जा सके। तदनुसार, मैसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त (अगस्त 2013) किया गया था। परामर्शदाता को दिसंबर 2017 तक ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया गया था।

ईआरपी की पूर्ति, कमिशनिंग, प्रवर्तन में लाने, कार्यान्वयन और समर्थन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के चयन के लिए, दिसंबर 2014 में खोलने की देय तिथि के साथ नवंबर 2014 में निविदा आमंत्रित की गई थी। हालांकि भावी बोलीदाताओं द्वारा किए गए अनुरोध और भागीदारी में वृद्धि के संदर्भ में, देय तिथि तीन बार बढ़ा दी गई थी। प्रतिक्रिया में, केवल दो फर्मों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जुलाई 2015 में खोली गई थी।

बोलियों के मूल्यांकन में पूर्व-योग्यता मानदंड/अनिवार्य आवश्यकताओं का मूल्यांकन और आगे सभी पूर्व-योग्यता मानदंडों में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन सम्मिलित हैं। हालांकि, बोलियों के मूल्यांकन के लिए कोई समय सीमा तय

ईआरपी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई जिसके कारण सभी परिचालन कार्यों को एकीकृत करने और कम्पनी में निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

नहीं की गई थी। बोली मूल्यांकन समिति¹⁰ ने मूल्यांकन के लिए 12 माह का समय लिया और प्रस्ताव की वैधता (जून 2016) बीत गई। हालांकि कम्पनी ने बोलीदाताओं से अक्टूबर 2016 तक अपने प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने का अनुरोध (अगस्त 2016) किया, लेकिन एक बोलीदाता ने इनकार कर दिया, इसलिए कम्पनी ने एकल बोलीदाता की मूल्य-बोली नहीं खोलने के लिए निर्णय किया (अक्टूबर 2016)। इसलिए, कार्य की निविदा पुनः बुलाई गयी (नवंबर 2016), और तकनीकी और मूल्य बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद 24 माह की निर्धारित समापन तिथि के साथ ₹ 55.95 करोड़ की लागत से कार्यादेश जारी किया गया (मई 2017) और परियोजना का निष्पादन प्रगति पर है (दिसंबर 2017)।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि निविदा को अंतिम रूप देने में जटिलता के कारण, ईआरपी परियोजना में देरी हुई है। हालांकि, इसने परिचालन कार्यों की निगरानी को प्रभावित नहीं किया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी निविदा को अंतिम रूप देने में सम्मिलित प्रक्रियाओं से अवगत थी। हालांकि, कम्पनी निविदा को अपनी स्वयं की निर्धारित वैधता अवधि के अंदर अंतिम रूप देने में विफल रही। इसके अलावा, ईआरपी के कार्यान्वयन में देरी के कारण, सभी परिचालन कार्यों को एकीकृत करने के अपने उल्लिखित उद्देश्य और इस प्रकार रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुशंसा: बेहतर कार्य प्रवाह और संचालन की प्रभावी निगरानी के लाभ प्राप्त करने के लिए कम्पनी को आगे बिना किसी देरी के ईआरपी परियोजना को पूर्ण करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

योजना और परियोजना अवधारणा

योजना प्रक्रिया में देखी गई कमियां निम्नानुसार हैं:

योजनाओं को बनाने और अनुमोदन में कमियां

2.1.11 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा जारी (जुलाई 2005) पूंजी व्यय के दिशानिर्देशों (केपेक्स) के अनुसार, कम्पनी को दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करने और निष्पादित होने वाली सभी परियोजनाओं का विवरण सम्मिलित करते हुए पांच वर्षीय योजना और वार्षिक केपेक्स योजनाएं एमपीईआरसी को जमा करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में, निम्नलिखित पाया गया था:

- कम्पनी ने राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की थी, जिसके कारण अभिलेखों में नहीं थे। इस प्रकार, मुख्य अभियंता (योजना और रूपांकन) की अध्यक्षता वाली योजना शाखा, केपेक्स दिशानिर्देशों में निर्धारित नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही।
- कम्पनी की योजना शाखा ने निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त किए बिना, 12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए ₹ 7,370.22 करोड़ की पांच वर्षीय केपेक्स योजना के लिए एमपीईआरसी की मंजूरी (जुलाई 2012) प्राप्त कर ली।
- योजना शाखा ने 2012-13 से 2016-17 के लिए वार्षिक पूंजी व्यय योजनाएं (नियोजित व्यय:- ₹ 4,750.17 करोड़¹¹) तैयार की, लेकिन वे केपेक्स दिशानिर्देशों के तहत स्वीकृति के लिए निदेशक मंडल और एमपीईआरसी को जमा करने में नाकाम

निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना एमपीईआरसी को पांच वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत की गई और वार्षिक योजना निदेशक मंडल और एमपीईआरसी को प्रस्तुत नहीं की गई।

¹⁰ मुख्य अभियंता (योजना और रूपांकन), मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) और मुख्य वित्तीय अधिकारी को सम्मिलित करते हुए।

¹¹ 2012-13 के लिये ₹ 342.20 करोड़, 2013-14 के लिये ₹ 387.84 करोड़, 2014-15 के लिये ₹ 629.85 करोड़, 2015-16 के लिये ₹ 1,496.83 करोड़ और 2016-17 के लिये ₹ 1,893.45 करोड़।

रहे, जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। इसके अलावा, केपेक्स दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि वार्षिक पूंजी व्यय योजना में बताए गए पूंजीगत निवेश, पांच वर्षीय योजना के अनुसार होंगे। जहां परिस्थितियों के कारण पांच वर्षीय योजना में संशोधन होता है ऐसी परिस्थितियों के साथ-साथ निवेश योजनाओं पर उनके प्रभाव को भी अवश्य बताया जाना चाहिए। हालांकि, योजना शाखा ने इसका पालन नहीं किया। एमपीईआरसी भी निगरानी करने में असफल रहा और उसने कम्पनी को जोर नहीं दिया कि केपेक्स दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक पूंजी व्यय योजना जमा करे।

लेखापरीक्षा के उत्तर में विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2017) कि अगले दस वर्षों के लिए आवश्यक संचारण कार्यों की पहचान की गई। हालांकि इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा आगे पूछे जाने पर कम्पनी ने पुष्टि की कि दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने की कोई ऐसी प्रथा कम्पनी में नहीं थी। यह भी कहा गया था कि 12वीं योजना अवधि के लिए आवश्यक पूंजी व्यय एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की है। इसके अलावा, एमपीईआरसी को जमा करने से पहले पांच वर्ष की केपेक्स योजना को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। निदेशक मंडल और एमपीईआरसी को वार्षिक पूंजी व्यय योजना प्रस्तुत करने में विफलता के बारे में उत्तर मौन है।

अनुशंसा: कम्पनी को दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, पांच वर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं को बनाने के लिए एमपीईआरसी के केपेक्स दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

2.1.12 जैसा कि *कांडिका 2.1.11* में उल्लेख किया गया है, कम्पनी की योजना शाखा द्वारा तैयार की गई वार्षिक पूंजी व्यय योजना, पांच वर्षीय योजना के अनुरूप नहीं थी। नतीजतन, कई कार्य जिनकी पांच वर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी को बाहर रखा गया था और अन्य कार्यों को वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किया गया था जैसा कि *परिशिष्ट-2.1.1 (अ)* और *परिशिष्ट-2.1.1 (ब)* में विस्तृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में बड़े परिवर्तन और गैर-उपलब्धि रही, जैसा की तालिका क्रमांक 2.1.3 में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका क्रमांक 2.1.3				
विवरण	ट्रांसमिशन लाइन	सब-स्टेशनों की संख्या	सब-स्टेशनों की क्षमता	योग
भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां (2012-17)				
पांच वर्षीय योजना के अनुसार भौतिक लक्ष्य	10,667.30 सर्किट किलोमीटर	94	19,698 एमव्हीए	
वार्षिक योजना में प्रोग्राम किये गए भौतिक लक्ष्य ¹²	5,842 सर्किट किलोमीटर	82	17,470 एमव्हीए	
पांच वर्षीय योजना से वार्षिक योजनाओं में कमी (प्रतिशत में)	45.23	12.77	11.31	
वास्तविक उपलब्धि	5,250.11 सर्किट किलोमीटर	83 ¹³	17,852 ¹⁴ एमव्हीए	
पांच वर्षीय योजना से वास्तविक उपलब्धि में कमी (प्रतिशत में)	50.78	11.70	9.37	

¹² वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिये।

¹³ 83 सब-स्टेशनों में से 24 सब-स्टेशनों की योजना 2012-13 से पहले की गई थी, लेकिन वह योजना अवधि (2012-17) में पूर्ण हुए।

¹⁴ 17,852 एमव्हीए में से 2854 एमव्हीए क्षमता, 17 सब-स्टेशनों के संबंध में थी, जिन्हें 2012-13 से पहले योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन इनको कार्य योजना अवधि (2012-17) में पूर्ण किया गया था।

तालिका क्रमांक 2.1.3				
विवरण	ट्रांसमिशन लाइन	सब-स्टेशनों की संख्या	सब-स्टेशनों की क्षमता	योग
वित्तीय लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां (2012-17)				(₹ करोड़ में)
पांच वर्षीय योजना के अनुसार वित्तीय लक्ष्य	4,032.99	3,337.23		7,370.22
वार्षिक योजना के अनुसार वित्तीय लक्ष्य		4,750.17		4,750.17
वास्तविक वित्तीय उपलब्धि	2,231.33	2,941.08		5,172.41
पांच वर्षीय योजना से वास्तविक उपलब्धि में कमी (प्रतिशत में)	44.67	11.87		29.82

अनुमोदित डीपीआर¹⁵ में लक्षित कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना तथा कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब (कड़िका 2.1.17 में वर्णित) के कारण पांच वर्षीय योजना के लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों के खराब निष्पादन (कड़िका 2.1.21 में वर्णित) इत्यादि के कारण वार्षिक योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रही। लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के परिणामस्वरूप लाइनों पर भार अधिक रहा (कड़िका 2.1.13 में वर्णित)।

पांच वर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में लक्षित कार्यों को सम्मिलित न किये जाने तथा अन्य कार्यों के निष्पादन के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2017) कि किये गये कार्य अत्यावश्यक होने के कारण तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने तथा विभिन्न क्षेत्रों में भार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य पुनर्निर्धारित किए गए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पांच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कमी थी, जैसा कि तालिका क्रमांक 2.1.3 में कहा गया है। जबकि विभाग द्वारा बताये गये उपरोक्त कारणों का भी लक्ष्य प्राप्ति की कमी में योगदान रहा, प्रारंभिक कारण योजना शाखा द्वारा खराब नियोजन रहा, चूंकि कम्पनी द्वारा बनायी गयी वार्षिक योजनाएँ, अनुमोदित पांच वर्षीय योजना के अनुसार नहीं थी।

लाइनों पर अधिक भार

2.1.13 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ट्रांसमिशन परफॉरमेंस स्टैंडर्ड्स) रेगुलेशन, 2004 के अनुसार, 132 केव्ही तथा 220 केव्ही की सभी एकल लाइनों पर सर्ज इम्पीडेन्स लोडिंग¹⁶ (सिल) क्रमशः 50 मेगावाट तथा 132 मेगावाट निर्धारित की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2012-17 के दौरान नौ ट्रांसमिशन लाइनों¹⁷ की सिल निर्धारित सीमा से 32 से 90 प्रतिशत तक की सीमा में लगातार अधिक रही। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अधिक भार की समस्या के निपटान के लिए, योजना शाखा द्वारा नौ कार्य पांच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये गए, किन्तु इन में से तीन कार्य¹⁸ ही वार्षिक योजना में सम्मिलित किए गये। शेष छह कार्यों को वार्षिक योजना में सम्मिलित न करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। आगे, वार्षिक योजना में सम्मिलित तीन कार्यों में भी 220 केव्ही गोरबाजार सब-स्टेशन के लिए भूमि के निर्धारण में देरी होने के कारण, जैसा कि कड़िका 2.1.19 में उल्लेखित है तथा कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण लाइनों के कार्य पूर्ण न होने के कारण विलम्ब हुआ।

¹⁵ दो डीपीआर (कुल योजना लागत ₹ 3,300 करोड़) जो वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदित (जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी तथा क्रेडिटल विकास बैंक) मार्च 2016 और जून 2016 में किए गए थे जो कि पांच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये गए, किन्तु योजना अवधि में कार्य प्रारंभ नहीं हो सके।

¹⁶ सर्ज इम्पीडेन्स लोडिंग (सिल) ट्रांसमिशन लाइन (मेगावाट में) की लोडिंग है जिस पर एक प्राकृतिक रिपैक्टिव पावर संतुलन होता है। यदि एसआईएल अनुमेय सीमा पार करता है, तो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो सकती है और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

¹⁷ 132 केव्ही साउथ जोन-सत्य साई लाईन, 220 केव्ही इंदौर-जैतपुरा-1 लाइन, 220 केव्ही इंदौर-जैतपुरा-2 लाइन, 132 केव्ही इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स-साउथ जोन लाईन, 132 केव्ही भोपाल-अमरावत खुर्द लाइन, 132 केव्ही रीवा-मनगवां लाइन, 132 केव्ही नागदा-खाचरोद लाइन, 132 केव्ही जबलपुर- व्हीएफजे-1 लाइन तथा 132 केव्ही गुना-भौरा लाइन।

¹⁸ 220 केव्ही सब-स्टेशन गोरबाजार, 132 केव्ही नागदा-खाचरोद-जावरा लाइन तथा 132 केव्ही रीवा-मनगवां लाईन की दूसरी सर्किटिंग।

इस प्रकार, पांच वर्षीय योजना (2012-17) में सम्मिलित छह कार्य सम्पन्न न होने के कारण तथा पांच वर्षीय योजना के साथ वार्षिक योजना में सम्मिलित तीन कार्यों में विलम्ब होने के कारण लाइनों पर अधिक भार रहा। परिणामस्वरूप, ट्रांसमिशन सिस्टम की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता¹⁹ जोखिम में रही। इस प्रकार अधिक भार की समस्या से निजात पाने के लिए योजना शाखा, वार्षिक पूंजी व्यय योजना बनाने के दौरान ठोस कदम उठाने में तथा प्रोक्योरमेंट शाखा योजना अनुसार कार्य पूर्ण करने में असफल रही।

विभाग ने माना (दिसम्बर 2017) कि योजना के अनुसार समय पर कार्य सम्पन्न नहीं होने के कारण ट्रांसमिशन लाइनों पर अधिक भार रहा।

उत्तर अधिक भार के समस्या से निजात पाने के लिए पांच वर्षीय योजना में लक्षित छह कार्यों को वार्षिक योजना में सम्मिलित करने में असफल होने के विषय में मौन है।

एपेक्स तथा राज्य स्तर की समितियों का गठन न होना

2.1.14 अति उच्च दाब सब-स्टेशनों, ट्रांसमिशन लाइनों तथा फीडर बे का निर्माण करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, वन, रक्षा, रेलवे आदि से वैधानिक अनुमति तथा कार्य करने की अनुमति लेनी होती है। तथापि, कम्पनी द्वारा संबधित विभागों, जो कि विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बधित थे, से पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी एपेक्स तथा राज्य स्तर पर समितियों का गठन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन विभागों से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब हुआ जिसके कारण विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण होने में भी विलम्ब हुआ जैसा कि *कड़िका 2.1.19* में उल्लेखित है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि वैधानिक अनुमति तथा कार्य करने की अनुमति कम्पनी की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्राप्त की जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न विभागों से वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में विलम्ब हुआ जो कि एपेक्स तथा राज्य स्तर की समिति के अनुसरण से टाला जा सकता था।

प्रोक्योरमेंट/कार्य मैनुअल नहीं बनाया जाना

2.1.15 कम्पनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) तथा पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण लेकर वृहद स्तर पर विस्तार कार्य, लाइनों तथा सब-स्टेशन का आधुनिकीकरण तथा संधारण कार्य कराये जाते हैं। तथापि, कम्पनी के निगमन के 16 वर्ष बीतने के बाद भी आसान एवं त्वरित निर्णय हेतु व्यवस्थित एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश, सामग्री क्रय/कार्यों को सम्पादित करने सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया को समाविष्ट करते हुए प्रथक संहिताबद्ध प्रोक्योरमेंट/कार्य मैनुअल नहीं बनाया गया है।

कम्पनी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि प्रोक्योरमेंट/कार्य सम्बन्धी गतिविधियां पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की प्रक्रिया के आधार पर किए जाते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लिखित में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं थी।

प्रोक्योरमेंट/कार्य मैनुअल के अभाव में कार्यों के संपादन में कमियाँ रही जिसका विवरण *कड़िकाओं 2.1.18 तथा 2.1.19* में दिया गया है। आगे, कम्पनी ठेकेदारों को कार्यों के संपादन के लिए मोबिलाइजेशन अग्रिम²⁰ का भुगतान अलग-अलग नियम एवं शर्तों के साथ अलग-अलग ब्याज दरों पर करती है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि मैनुअल बनाया जा रहा है तथा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा। इसकी प्रगति को लेखापरीक्षा में देखा जायेगा।

कम्पनी ने प्रोक्योरमेंट/कार्य मैनुअल नहीं बनाया। परिणामस्वरूप कार्यों के सम्पादन में कमियाँ रही।

¹⁹ यदि सिल, सीमा को पार करती है तो यह लाइनों की ट्रिपिंग तथा लाईन में क्षमता से अधिक लोड के कारण वोल्टेज में उतार-चढ़ाव का कारण होती है।

²⁰ जेआईसीए के लोन क्रमांक 1 के सन्दर्भ में कार्यादेश के मूल्य का 15 प्रतिशत, एडीबी के लोन क्रमांक 3 के सन्दर्भ में 10 प्रतिशत तथा पीएफसी ऋण के अंतर्गत कार्यों के सन्दर्भ में 10/15 प्रतिशत।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा निष्पादन

2.1.16 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नए संरचना निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, वर्तमान ट्रांसमिशन सिस्टम की क्षमता वृद्धि तथा वर्तमान संरचना का आधुनिकीकरण सम्मिलित हैं।

निर्माण गतिविधियों में (1) टर्नकी तथा सेमी-टर्नकी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए योजना बनाना तथा चयन करना, (2) अनुमोदित डीपीआर के अनुसार कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं का चयन, (3) लागत तथा समय सम्बन्धी सीमाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए कार्यों की निगरानी। ट्रांसमिशन कार्यों तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी), पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन एवं केएफडब्लू डेवलपमेंट बैंक से उधार लेती है।

कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

2.1.17 वर्ष 2012-17 के दौरान, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की अध्यक्षता में प्रोक्योरमेंट शाखा ने ₹ 3,563.45 करोड़ मूल्य के 46 टर्नकी अनुबंध आदेश (जिसमें ट्रांसमिशन लाइनों, फीडर बे²¹ तथा सब-स्टेशन के 465 निर्माण कार्य थे) जारी किए। मार्च 2017 को इन 465 कार्यों की स्थिति तालिका क्रमांक 2.1.4 में दी गई है:

तालिका क्रमांक 2.1.4						
विवरण/कार्य	कुल कार्य	समय पर पूर्ण हुए कार्य	विलम्ब से पूर्ण हुए कार्य	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रारंभ हुए किन्तु रुक गए	कार्य जो प्रारंभ नहीं हुये
लाइन						
400 केव्ही लाइन	3	0	0	1	0	2
220 केव्ही लाइन	31	0	13	10	6	2
132 केव्ही लाइन	139	15	56	37	21	10
योग	173	15	69	48	27	14
सब-स्टेशन						
400 केव्ही सब-स्टेशन	2	0	0	2	0	0
220 केव्ही सब-स्टेशन	22	0	13	4	4	1
132 केव्ही सब-स्टेशन	82	7	39	15	18	3
योग	106	7	52	21	22	4
फीडर बे						
400 केव्ही फीडर बे	1	0	0	0	0	0
220 केव्ही फीडर बे	24	0	7	12	4	0
132 केव्ही फीडर बे	161	16	87	35	16	7
योग	186²²	16	94	47	20	7
कुल योग	465	38	215	116	69	25

सब-स्टेशन तथा लाइनों के कार्य विलंब से पूर्ण होने/अपूर्ण रहने के कारण, कम्पनी लेखापरीक्षा अवधि में ट्रांसमिशन हानियों में होने वाली ₹ 71.61 करोड़ की कमी करने में असफल रही।

सब-स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइनों के कार्य विलंब से पूर्ण होने/अपूर्ण रहने के कारण, कम्पनी लेखापरीक्षा अवधि में ट्रांसमिशन हानियों में होने वाली ₹ 71.61 करोड़ की वांछित कमी करने में असफल रही। खराब निष्पादन के मुख्य कारण विस्तृत सर्वे के बिना कार्यों को प्रारंभ करना (कड़िका 2.1.18), भूमि की उपलब्धा सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश देना (कड़िका 2.1.19), लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियाँ (कड़िका 2.1.20), एक ठेकेदार को एक साथ अनेक ठेके जारी करना (कड़िका 2.1.21), ठेकेदार द्वारा टर्नकी

²¹ फीडर बे सब-स्टेशन से ट्रांसमिशन तथा वितरण लाइनों को विद्युत का प्रवाह करता है।

²² कार्यादेश जारी होने के बाद दो फीडर बे के कार्य परित्यक्त किये गये।

ठेके के निष्पादन में खराब प्रदर्शन (कंडिका 2.1.22) आदि। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पायी गयी विशेष कमियों का उल्लेख आगे किया गया है।

विस्तृत सर्वे के बिना कार्यों को प्रारंभ करना

2.1.18 भारत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर गठित टास्क फोर्स²³ की अनुशंसा (अगस्त 2005) के अनुसार विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां जैसे मार्ग संरेखण, निविदा सूचना के पूर्व विस्तृत सर्वे तथा मृदा परिक्षण, वैधानिक अनुमतियां, भूमि की पहचान, भूमि के आधिपत्य हेतु औपचारिकतायें आदि समय पर किए जाने चाहिये ताकि परियोजनाओं के निष्पादन में समय बचाया जा सके। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मैन्युअल²⁴ (डब्ल्यूडीएम) में भी यह प्रावधान है कि डीपीआर, सर्वे तथा अन्वेषण के बाद ही बनाना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) द्वारा विस्तृत सर्वे किए बिना परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया तथा तदोपरांत, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए निविदा सूचना जारी की गई। विस्तृत सर्वे, कार्यादेश जारी करने के बाद किए गए। 116 लाइनों के निर्माण कार्यों²⁵ में से 57 लाइनों (49.14 प्रतिशत) में पाया गया कि विस्तृत सर्वे के दौरान लाइनों की मार्ग लंबाई प्रारंभिक अनुमानों से 97.10 प्रतिशत तक कम हुई (49 कार्य) तथा 20 प्रतिशत तक बढ़ गयी (आठ कार्य)। चूंकि अनुबंध राशि निर्धारित करते हुए टर्नकी ठेके इन्ही प्रारंभिक सर्वे तथा अनुमानों के आधार पर जारी किए थे, अनुबंध निष्पादन के दौरान मात्रा में कमी हुई, जिसके फलस्वरूप, अनुबंधों का वास्तविक मूल्य भी ₹ 161.80 करोड़ से कम हुआ। तथापि, कम्पनी ने मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान अनुबंधों के कार्यादेश राशि पर किया था। परिणामस्वरूप, ₹ 20.07 करोड़ का अधिक मोबिलाईजेशन अग्रिम ठेकेदारों को जारी किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि समय की बचत तथा ट्रांसमिशन कार्यों में व्यय में बचत को ध्यान में रखते हुए कार्यों के कार्यादेश तथा विस्तृत सर्वे की गतिविधियाँ एक साथ प्रारंभ की गयी। विकास सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि कम्पनी के अधिकारियों को कार्यादेश जारी करने के पूर्व सभी प्रारंभिक गतिविधियां सुनिश्चित करना चाहिये।

इसलिए यह स्पष्ट है कि कम्पनी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स की अनुशंसा के साथ-साथ डब्ल्यूडीएम के प्रावधानों का पालन न करते हुए कार्यादेश जारी करने से पहले विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों अर्थात् सर्वेक्षण, मार्ग संरेखण और विस्तृत अनुमानों की तैयारी नहीं की। इसके अलावा, विस्तृत सर्वेक्षण से पहले कार्यादेशों को जारी करके कोई समय और लागत बचत नहीं की गई क्योंकि अधिकांश कार्यों में देरी हुई थी।

अनुशंसा: कम्पनी द्वारा विस्तृत सर्वे, मार्ग संरेखण, विस्तृत अनुमान बनाने के बाद ही कार्यों के लिए कार्यादेश जारी करना चाहिये जैसा कि लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल में दिया गया है।

²³ टास्कफोर्स में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य ट्रांसमिशन कम्पनियों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निष्पादन में समय में कमी लाने के लिए तरीकों की अनुशंसा प्रदान करना था।

²⁴ कम्पनी के स्वयं के प्रोक्योरमेंट/कार्य मैन्युअल के अभाव में, मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल को बेंचमार्क/सर्वोत्तम प्रथाओं हेतु अपनाया गया।

²⁵ लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा समीक्षा अवधि 2012-17 के दौरान जारी किए गए 46 कार्यादेशों में से 25 कार्यादेशों की जाँच की गई। नमूनों का चयन इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्तरीकृत/प्रतिचयन विधि के आधार पर किया गया। चयनित नमूने में 116 लाइनों के कार्य लिए गए हैं।

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यादेश जारी करना

2.1.19 भारत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु गठित टास्क फोर्स की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक गतिविधियां जैसे सब-स्टेशन के लिए भूमि की पहचान तथा भूमि के आधिपत्य हेतु प्रक्रिया की शुरुआत आदि परियोजनाओं के जल्दी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग के मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार भी, कार्य हेतु भूमि के अधिग्रहण की औपचारिकता, कार्य प्रारंभ करने के पहले ही पूर्ण करना चाहिये। मानक कार्यादेश के परिशिष्ट छह के अनुसार, कम्पनी (योजना शाखा) को भूमि/स्थल का आधिपत्य ठेकेदार को प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

➤ कम्पनी द्वारा सब-स्टेशन के लिए भूमि का आधिपत्य लेने के लिए कोई भी दिशानिर्देश तथा प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने 11 सब-स्टेशन²⁶ के कार्यादेश, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जारी कर दिए। इसी बीच कार्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों को ₹ 15.80 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम जारी किया गया। चूंकि ठेकेदारों को भूमि का आधिपत्य कार्यादेश की तिथि से सात से 20 माह के विलम्ब से दिया गया था, संभावित कार्यान्वयन से काफी पहले मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ। साथ ही, विलम्ब से भूमि उपलब्ध कराने के कारण ठेकेदारों को समय वृद्धि दी गयी, परिणामस्वरूप, सब-स्टेशनों तथा सम्बन्धित ट्रांसमिशन लाइनों तथा फीडर बे के निर्माण में विलम्ब हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि समय की बचत तथा ट्रांसमिशन कार्यों के व्यय में बचत को ध्यान में रखते हुए कार्यों के कार्यादेश तथा भूमि अधिग्रहण की गतिविधियां एक साथ की गयी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने टास्क फोर्स की अनुशंसाओं तथा लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया। आगे यह भी कि भूमि के अधिग्रहण से पूर्व कार्यादेशों को जारी करने से किसी भी प्रकार से समय और धन की बचत नहीं हुई चूंकि अधिकतर कार्यों में विलम्ब हुआ। निकास सम्मेलन (दिसम्बर 2017) में प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि कम्पनी के अधिकारियों को कार्यादेश जारी करने के पूर्व सभी प्रारंभिक गतिविधियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिये।

➤ 220 केव्ही सब-स्टेशन, गोराबाजार हेतु प्रस्तावित भूमि डिफेन्स कैटोनमेंट क्षेत्र में थी। लोक निर्माण विभाग मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार डिफेन्स क्षेत्र की भूमि का उपयोग रक्षा मंत्रालय कि अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कार्यादेश, रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना जारी (सितम्बर 2012) कर दिया। इसके बाद रक्षा अधिकारियों ने (जुलाई 2014) केवल ट्रांसमिशन लाइनों के टावरों के निर्माण के लिए रक्षा भूमि के उपयोग के लिए कम्पनी को अनुमति दी। हालांकि, कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण, डिवीजन-1), जबलपुर ने इसे सब-स्टेशन के निर्माण की अनुमति मान कर, सब-स्टेशन के निर्माण के कार्य को आरम्भ करने के लिए ठेकेदार को निर्देश (नवंबर 2014) दिया। नतीजतन, ठेकेदार के कार्य आरम्भ करने के बाद और स्थल पर विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद रक्षा अधिकारियों द्वारा कार्य रोक दिया गया।

इसके बाद, रक्षा अधिकारियों ने (अगस्त 2016) सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए कम्पनी से प्रति माह ₹ 23.90 लाख किराये की मांग की। हालांकि,

²⁶ 132 केव्ही सब-स्टेशन-कैलारस, चिनोर, नरसिंहगढ़, ईटखेडी, मोरवान, कटंगी, बड़ा मल्हरा, 220 केव्ही सब-स्टेशन आदमपुर, गोराबाजार, मुगलियाछाप और मांगलिया एडीबी लोन क्रमांक 3 तथा जेआईसीए लोन क्रमांक 1 के तहत किए गए

कम्पनी ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सब-स्टेशनों के कार्यादेश जारी किए, जिससे कार्य चालू होने में विलम्ब हुआ तथा ₹ 16.82 करोड़ का मोबिलाईजेशन अग्रिम बाधित हुआ।

कम्पनी ने (सितंबर 2016) इसका विरोध किया, इस मामले को हल नहीं किया गया है और सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है (दिसंबर 2017)। इस प्रकार, जबलपुर शहर के बिजली भार में वृद्धि के अनुरूप ट्रांसमिशन प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इसके अलावा, ठेकेदार को ₹ 2.06 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान (नवंबर 2012) के साथ-साथ साइट पर लाई गयी सामग्रियों के लिए किए गए ₹ 2.35 करोड़ का व्यय भी अवरोधित रहा। चूंकि सब-स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ, संबंधित लाइनें²⁷ (जबलपुर-अमरकंटक और जबलपुर-मनेरी लाइन) भी नहीं बनाई जा सकीं, और इस प्रकार, लाइन कार्य के ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान (जनवरी 2013) भी अवरुद्ध रहा। योजना शाखा ने अब तक सब-स्टेशन के लिए वैकल्पिक साइट की पहचान नहीं की है (दिसंबर 2017)।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि मामला रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है और रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने के बाद कार्य पूर्ण किया जाएगा। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि बिना भूमि के आधिपत्य के कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए था और रक्षा भूमि के उपयोग के मुद्दे को सुलझाये बिना ठेकेदार को ब्याज रहित अग्रिम जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

अनुशंसा: कम्पनी को परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, भूमि की पहचान, अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियां

2.1.20 कम्पनी के अनुबंधों की मानक शर्तों के अनुसार योजना शाखा कार्यादेश के साथ लेआउट तथा ड्राइंग प्रदान करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

➤ श्यामगढ़²⁸ में 132 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य मेसर्स बीएस लिमिटेड को (मार्च 2014) दिया गया था। आवंटित भूमि के उचित सीमांकन के बिना, सब-स्टेशन के लेआउट और ड्राइंग तैयार (मई 2014) किये गये थे। कम्पनी के अधिकारियों²⁹ द्वारा, संशोधित भूमि सर्वेक्षण और भूमि की सीमा तय करने में देरी के कारण 17 माह बाद लेआउट और ड्राइंग संशोधित किये गये (अक्टूबर 2015)। इसके बाद, ठेकेदार (बीएस लिमिटेड) भी कार्य आरम्भ करने में नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने साइट पर मानव शक्ति, मशीनरी और आपूर्ति सामग्री का प्रदाय नहीं किया था। फलस्वरूप, ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अनुबंध समाप्त (फरवरी 2017) कर दिया गया, जिसका विवरण कड़िका 2.1.21 में दिया गया है। परिणामस्वरूप, जनवरी 2016 तक पूर्ण होने वाला कार्य अब तक आरम्भ भी नहीं किया जा सका (दिसंबर 2017) और श्यामगढ़ क्षेत्र में बिजली भार की आवश्यकता पूरी करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका।

➤ कार्यादेश जारी करने से पहले, योजना शाखा द्वारा फिनिशड ग्राउंड लेवल (एफजीएल)³⁰ को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी और जिसे कार्यादेश के साथ ठेकेदार को प्रदान किया जाना था। हालांकि, बदनावर³¹ में 400 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कम्पनी अधिकारियों³² द्वारा प्रस्तावित भूमि के लेआउट ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी के कारण कार्यादेश जारी करने के 12 माह बाद एफजीएल तय किया

²⁷ जेआईसीए लोन क्रमांक 1 के अंतर्गत किये गए।

²⁸ एडीबी ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत लिया गया

²⁹ मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण अभियंता (ईएचटी-निर्माण), उज्जैन तथा कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण), उज्जैन

³⁰ फिनिशड ग्राउंड लेवल, सब-स्टेशन के निर्माण में भूमि के समतलीकरण तथा स्पष्ट सीमांकन को दर्शाता है।

³¹ एडीबी ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत लिया गया।

³² मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर तथा कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर।

गया। नतीजतन, कार्य मार्च 2015 तक आरम्भ नहीं किया जा सका। इसके अलावा, यह कार्य मैसर्स बीएचईएल के टर्नकी अनुबंध के तहत था, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था और वे सामग्रियों की समय पर आपूर्ति और कार्यों के निष्पादन में विफल रहे। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2016 तक निर्धारित कार्य पूर्णता के मुकाबले, केवल सिविल फाउंडेशन और संरचना का 25 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया (दिसंबर 2017)।

➤ कार्यादेश के साथ लेआउट ड्राइंग को सौंपना आवश्यक था। हालांकि, चापड़ा सब-स्टेशन³³ के 132 केव्ही से 220 केव्ही पर उन्नयन हेतु, कार्यादेश जारी करने (मार्च 2014) के 16 माह की देरी के बाद, जुलाई 2015 में लेआउट ड्राइंग तैयार की गई और सौंपी गई थी। कम्पनी के अधिकारियों³⁴ द्वारा प्रस्तावित भूमि के लेआउट को अंतिम रूप देने में देरी की वजह से लेआउट ड्राइंग विलम्ब से तैयार की गई थी। नतीजतन, कार्य जुलाई 2015 तक आरम्भ नहीं किया जा सका। इसके अलावा, ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण, लेआउट ड्राइंग को सौंपने के बाद भी कार्य की प्रगति धीमी थी, और कार्य पूर्णता की निर्धारित तारीख (मार्च 2016) प्राप्त नहीं हुई थी। ठेकेदार (मैसर्स बीएस लिमिटेड) के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अनुबंध समाप्त (फरवरी 2017) कर दिया गया, जिसकी व्याख्या कंडिका 2.1.21 में की गई है। अनुबंध समाप्ति की दिनांक तक, केवल सिविल फाउंडेशन कार्य का 12 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया था, और अब तक शेष कार्य को पुनः प्रदाय नहीं किया गया है (दिसंबर 2017)।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि ठेकेदार के खराब प्रदर्शन की वजह से कार्य पूर्ण होने में देरी हुई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि देरी का प्राथमिक कारण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा लेआउट और ड्राइंग को समय पर अंतिम रूप देने में विफलता थी जिससे कार्य आरम्भ होने में भी देरी हुई। इसके बाद, ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन ने भी देरी में योगदान दिया। निकास सम्मेलन (दिसंबर 2017) में कम्पनी ने स्वीकार किया कि कम्पनी द्वारा लेआउट और ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी और भविष्य में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा: कम्पनी को लेआउट और ड्राइंग को समय पर अंतिम रूप देना और ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी को सुनिश्चित करना चाहिये ताकि कार्यों का समयानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

एकल ठेकेदार को एक साथ कई अनुबंध देना

2.1.21 ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर टास्क फोर्स की प्रतिवेदन में यह निर्धारित किया गया था कि निर्धारित समय में कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्यों हेतु चयनित ठेकेदारों के पास पर्याप्त संसाधन और अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग³⁵ (डब्ल्यूआरडी), मध्य प्रदेश शासन ने टर्नकी अनुबंधों के लिए मानक बोली-प्रक्रिया दस्तावेज (एसबीडी) में निर्धारित किया है कि परियोजनाओं हेतु बोलीदाता को वार्षिक औसत टर्नओवर और पिछले अनुभव के न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करना चाहिए।

कम्पनी ने एडीबी के ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु छह टर्नकी कार्य अनुबंधों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों के चयन के लिए एक साथ निविदाएं (अगस्त 2013) आमंत्रित की। हालांकि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की अध्यक्षता वाली प्रोक्योरमेंट शाखा ने प्रत्येक टर्नकी अनुबंध के लिए योग्यता मानदंड (औसत वार्षिक टर्नओवर, कार्यशील पूंजी इत्यादि) निर्धारित किये, परन्तु एक बोलीदाता द्वारा एक से

³³ एडीबी ऋण क्रमांक 3 के अंतर्गत लिया गया।

³⁴ मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), अधीक्षण अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर तथा कार्यपालन अभियंता (ईएचटी-निर्माण), इंदौर।

³⁵ कम्पनी की अपनी प्रोक्योरमेंट/कार्य मैनुअल की अनुपस्थिति में, डब्ल्यूआरडी के एसबीडी को बेंच मार्क/सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में लिया गया है।

अधिक टर्नकी अनुबंध हेतु बोलियाँ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, निविदाओं के संचयी मूल्यांकन के लिए कोई मानदंड तय नहीं किये गये थे। अतः, राज्य के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर एक साथ कई टर्नकी अनुबंध के कार्यों को करने हेतु ठेकेदार की क्षमता का आंकलन नहीं किया गया।

निविदाकार मेसर्स बीएस लिमिटेड ने सभी छह टर्नकी अनुबंधों के लिए बोलियाँ प्रस्तुत की और कम्पनी द्वारा ₹ 1,058.51 करोड़ के कुल छह अनुबंधों में से ₹ 710.27 करोड़ के चार अनुबंध उन्हें जारी (मार्च 2014) किये गये। निविदा दस्तावेजों में संचयी मूल्यांकन के मानदंडों की अनुपस्थिति में जारी किये गये चार अनुबंधों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा औसत वार्षिक टर्नओवर और न्यूनतम कार्यशील पूंजी की संचयी योग्यता मानदंड³⁶ क्रमशः ₹ 1,324.00 करोड़ और ₹ 265 करोड़ आंकलित की गई थी। इसके विरुद्ध, मेसर्स बीएस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, उनका औसत वार्षिक टर्नओवर और कार्यशील पूंजी क्रमशः ₹ 1,180.63 करोड़ और ₹ 208.70 करोड़ थी। यदि निविदाकार की पात्रता का संचयी मूल्यांकन किया जाता, तो निविदाकार चार टर्नकी अनुबंध पाने के पात्र नहीं होते। यद्यपि, कम्पनी ने निविदाओं का संचयी मूल्यांकन किये बिना अनुबंध जारी कर दिए।

उल्लेखनीय है कि, निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान वित्तीय संस्था (एडीबी) ने भी मेसर्स बीएस लिमिटेड के औसत वार्षिक टर्नओवर के चार टर्नकी अनुबंधों हेतु संचयी औसत वार्षिक टर्नओवर आवश्यकता से कम होने पर चिंता व्यक्त (फरवरी 2014) की थी, जो कि ठेकेदार के खराब निष्पादन का कारण हो सकता था। उत्तर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने एडीबी को बताया कि निविदा दस्तावेजों में औसत वार्षिक टर्नओवर की आवश्यकता अनुबंधों की अनुमानित मूल्य से डेढ़ गुना रखी गई थी। यह मेसर्स बीएस लिमिटेड को जारी किये गये चार टर्नकी अनुबंधों के सम्बन्ध में ₹ 1,065 करोड़ निर्धारित किया गया। यद्यपि, निविदा दस्तावेजों के अनुसार चार टर्नकी अनुबंधों के सम्बन्ध में औसत वार्षिक टर्नओवर की पात्रता ₹ 1,324 करोड़ थी जैसा की लेखापरीक्षा द्वारा आंकलित किया गया। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने एडीबी को औसत वार्षिक टर्नओवर की पात्रता के आंकड़ों के सम्बन्ध में गलत जानकारी दी।

ठेकेदार की कार्यस्थल पर सामग्री की आपूर्ति तथा मानवशक्ति प्रदाय करने की असफलता के कारण, सभी कार्यों की प्रगति प्रारंभ से ही धीमी तथा असंतोषजनक थी। परिणामस्वरूप, ₹ 15.32 करोड़ की लागत के छह फीडर बे तथा दो ट्रांसमिशन लाइनों के कार्य ही कार्य पूर्णता अवधि (अक्टूबर 2016) तक पूर्ण किये जा सके। यद्यपि, कम्पनी ने सभी चार अनुबंध समाप्त (फरवरी 2017) कर दिए, परन्तु सभी बचे हुए कार्यों को अब तक पुनः जारी नहीं किया गया था (दिसम्बर 2017)। परिणामस्वरूप ₹ 129.44 करोड़ के निवेश के पश्चात भी भोपाल, जबलपुर तथा इंदौर क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली भार की आपूर्ति करने तथा ट्रांसमिशन प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने के निर्धारित उद्देश्य अपूर्ण रहे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि प्रत्येक निविदा का प्रथम से वित्तीय मूल्यांकन के साथ ठेकेदार का संचयी मूल्यांकन भी किया गया था तथा एडीबी को उनके प्रश्न के उत्तर में बताया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अगर संचयी मूल्यांकन किया गया होता तो मेसर्स बीएस लिमिटेड चार टर्नकी अनुबंध पाने का पात्र नहीं होता। साथ ही, कम्पनी ने एडीबी को औसत वार्षिक टर्नओवर की पात्रता के आंकड़ों के सम्बन्ध में गलत जानकारी दी।

ठेकेदार की क्षमता का आंकलन किये बिना एकल ठेकेदार को चार टर्नकी अनुबंध जारी किये गये, परिणामस्वरूप, ठेकेदार के खराब निष्पादन के कारण चारों ठेके समाप्त किये गये तथा अपूर्ण कार्यों पर ₹ 129.44 करोड़ का व्यय अवरुद्ध रहा।

³⁶ निविदाकार की संचयी पात्रता, प्रत्येक टर्नकी अनुबंध के लिए औसत वार्षिक टर्नओवर और न्यूनतम कार्यशील पूंजी की पात्रता मानदंड आवश्यकता को जोड़कर तैयार की गई है।

टर्नकी कार्य अनुबंध के निष्पादन में खराब प्रगति

2.1.22 मेसर्स आइसोलक्स इंजीनीरिया लिमिटेड को ₹ 192.20 करोड़ की लागत पर जारी (मई 2013) किया गया टर्नकी कार्य अनुबंध अप्रैल 2015 तक पूर्ण होना था। अनुबंध के वाक्य 25.1(5) के अनुसार अगर ठेकेदार सहमत मात्रा की तुलना में किसी भी तिमाही के अंत में कम से कम 50 प्रतिशत संचयी प्रगति प्राप्त करने में असमर्थ है तो कम्पनी अनुबंध को समाप्त कर सकती है। ठेकेदार का प्रदर्शन लगातार खराब था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.2** में दर्शाया गया है। टर्नकी अनुबंध में 23 कार्यों³⁷ में से, ठेकेदार ने केवल छह कार्य 11 से 14 माह की देरी के साथ पूरे किए, और शेष कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए थे (नवम्बर 2017)। देरी के मुख्य कारण, ठेकेदार की कार्यों के लिए सामग्रियों और जनशक्ति प्रदान करने में विफलता और उप-ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाना था। यद्यपि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने अनुबंध शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ठेकेदार ने कार्य की गति में तेजी लाने का आश्वासन दिया था। कार्यों की प्रगति लगातार धीमी रही और अनुबंध अंततः नवंबर 2017 में समाप्त किया गया।

आगे, वाक्य 15.2 के अनुसार, यदि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता तो ठेकेदार द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का नगदीकरण किया जाना था। यद्यपि, निर्धारित पूर्णता अवधि (अप्रैल 2015) की समाप्ति से 19 माह की देरी के बाद मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने ठेकेदार की ₹ 19.22 करोड़ की पीबीजी का नगदीकरण किया (नवंबर 2016)। पीबीजी के नगदीकरण किये जाने में देरी के लिए कोई कारण लेखों में नहीं पाया गया। आगे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) भी मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरुद्ध ₹ 25.27 करोड़ की बैंक गारंटी का नगदीकरण करने में असफल रहे, जैसा की **कंडिका 2.1.31** में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, इन कार्यों पर ₹ 40.26 करोड़ का निवेश अनुपयोगी रहा तथा कम्पनी इन कार्यों से ग्वालियर तथा जबलपुर क्षेत्रों में अतिरिक्त भार की आवश्यकता को पूर्ण करने के निर्धारित लाभ प्राप्त करने से वंचित रही।

अनुशंसा: कम्पनी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कार्यों को समयानुसार पूर्ण करवाने हेतु खराब निष्पादन वाले ठेकेदारों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

ठेकेदार को आपूर्ति की गई सामग्री की वसूली न किया जाना

2.1.23 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की प्रमुखता वाली प्रोक्योरमेंट शाखा ने 23 कार्यों में से चार कार्यों³⁸ के संबंध में जैसा की **कंडिका 2.1.22** में उल्लेख किया गया है, कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करवाने हेतु कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदार को ₹ 7.19 करोड़ की कीमत की विभिन्न सामग्रियां³⁹ उधारी पर प्रदाय (अगस्त 2014 से सितंबर 2016 के दौरान) कीं। उपरोक्त में से ₹ 64.47 लाख की राशि वसूल की गई तथा ₹ 6.55 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री अब तक वापस नहीं लौटाई गई/समायोजित नहीं की गई (दिसम्बर 2017)। हालांकि, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) सामग्री के मूल्य की वसूली/समायोजन के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि कार्य की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामग्री प्रदाय की गई थी, तथा बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

³⁷ 10 ट्रांसमिशन लाइन, सात सब-स्टेशन और छह फीडर बे के निर्माण के लिए।

³⁸ 132 केव्ही सब-स्टेशन बडागांव-दिमनी तथा लटेरी, 220 केव्ही सब-स्टेशन सिरमौर एवं सिरोंज-मकसूदनगढ़ लाइन का लीलो

³⁹ सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सी और आर पैनल, कोअक्सिअल केबल, बस बार, अर्थिंग सामग्रियां इत्यादि।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), उधार दी गयी सामग्रियों की वापसी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने में असफल रहे। इसके अलावा, अनुबंध समाप्त होने के बाद भी सामग्री के मूल्य की वसूली अभी भी लंबित है।

नव निर्मित 132 केव्ही सब-स्टेशनों का अनुपयोगी रहना

2.1.24 उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक बिजली, ट्रांसमिशन सिस्टम के 132 केव्ही सब-स्टेशन से लेकर, वितरण कम्पनियों (उपयोगकर्ता एजेंसी) के 33 केव्ही फीडर को प्रदाय की जाती है। कम्पनी ने 2012-17 की अवधि के दौरान 132 केव्ही के 65 सब-स्टेशनों का निर्माण किया। इनमें से, जुलाई 2015 से सितंबर 2016 के दौरान स्थापित नौ सब-स्टेशनों को वितरण कम्पनियों द्वारा दिसम्बर 2017 तक 33 केव्ही फीडर से जोड़ा नहीं गया था। इसके अलावा, मार्च 2015 से जून 2016 के दौरान स्थापित किए गए छह सब-स्टेशनों को वितरण कम्पनियों द्वारा कनेक्टिंग लाइनों के निर्माण में विलम्ब के कारण चार से 18 माह के विलम्ब से 33 केव्ही फीडर से जोड़ा गया। वितरण कम्पनियों के संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियंताओं द्वारा राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े मुद्दों को हल करने में उनकी पहल की कमी के कारण ट्रांसमिशन कम्पनी के सब-स्टेशनों को 33 केव्ही फीडरों के साथ जोड़ने में असफल रहे। नतीजतन, अतिरिक्त भार की मांग को पूर्ण करने और क्षेत्र की वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे।

वितरण कम्पनियों द्वारा कनेक्टिंग लाइनों के निर्माण न किये जाने के कारण कम्पनी के पूर्ण हो चुके 132 केव्ही सब-स्टेशन अनुपयोगी रहे।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि 33 केव्ही फीडरों को 132 केव्ही सब-स्टेशनों से नहीं जोड़ने का मामला वितरण कम्पनियों (उपयोगकर्ता एजेंसी) से संबंधित है। प्रमुख सचिव ने निकास सम्मेलन (दिसंबर 2017) में आश्वासन दिया कि मामले की चर्चा वितरण कम्पनियों के साथ की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक ही राज्य सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाली बिजली क्षेत्र की कम्पनियाँ (कम्पनी और वितरण कम्पनियाँ) एक दूसरे के साथ समन्वय करने में विफल रही हैं।

अनुशंसा: राज्य सरकार को ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, कम्पनी और वितरण कम्पनियों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जैसी प्रणाली विकसित करना चाहिए।

नव निर्मित 220 केव्ही सब-स्टेशनों का कम उपयोगित रहना

2.1.25 सब-स्टेशन और इसकी संबंधित लाइन की निर्धारित पूर्णता अवधि उनके सिंक्रोनाइजेशन और इष्टतम उपयोग के लिए समान होनी चाहिए। योजना शाखा ने बिजली आपूर्ति प्रदान करने, मौजूदा सब-स्टेशनों पर ओवरलोडिंग को कम करने तथा वोल्टेज प्रोफाइल और बिजली वितरण क्षमता में सुधार के लिए मुगलियाछाप, ग्वालियर-2 और सिरमौर में 220 केव्ही सब-स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना की। सब-स्टेशनों से आगे बिजली प्रदाय के लिए मुगलियाछाप सब-स्टेशन से 132 केव्ही की चार ट्रांसमिशन लाइनें, ग्वालियर-2 सब-स्टेशन से 132 केव्ही की तीन ट्रांसमिशन लाइनें तथा सिरमौर सब-स्टेशन से 132 केव्ही की एक ट्रांसमिशन लाइन प्रस्तावित की गई (नवम्बर 2011 से मार्च 2013)। हालांकि, **परिशिष्ट 2.1.3** में दिए गए कारणों के कारण स्थापित किए गए सब-स्टेशनों से बिजली आगे प्रदाय करने के लिए आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण न करने के कारण कम्पनी के अधिकारी⁴⁰ इन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को संबंधित सब-स्टेशनों के निर्माण के साथ सिंक्रोनाइज करने में असफल रहे। नतीजतन, सब-स्टेशनों पर भार कम था और सबस्टेशन कम उपयोगित बने रहे।

कम्पनी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को 220 केव्ही सब-स्टेशनों के निर्माण के साथ सिंक्रोनाइज करने में विफल रही, जिससे सब-स्टेशन कम उपयोगित बने रहे।

⁴⁰ मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन), मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण)

इस प्रकार, तीन सब-स्टेशनों पर 18 से 32 माह तक, ₹ 58.34 करोड़ का निवेश व्यर्थ रहा (दिसंबर 2017) और अतिरिक्त भार की मांग प्रदान करने और क्षेत्र की वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया गया था।

अनुशंसा: कम्पनी को सब-स्टेशनों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के सिंक्रोनाइजेशन को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि स्थापित सब-स्टेशनों के अल्प उपयोग का परिवर्जन किया जा सके।

फीडर लाइन के परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यर्थ निवेश

2.1.26 वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार और ईशागढ़ क्षेत्र के भार की वृद्धि को पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) ने गुना और ईशागढ़ सब-स्टेशनों के बीच 132 केव्ही डीसीएसएस लाइन⁴¹ (मार्ग लंबाई 72 किलोमीटर) के निर्माण को प्रस्तावित (जून 2010) किया। तदनुसार, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) ने ₹ 26.77 करोड़ की अनुबंध राशि का कार्यादेश (जून 2013) जारी किया।

वैकल्पिक
अशोकनगर-ईशागढ़
लाइन के निर्माण के
कारण गुना-
ईशागढ़ लाइन पर
₹ 6.16 करोड़ का
व्यय निष्फल रहा।

तदोपरांत, मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) ने पाया (जुलाई 2013) कि गुना-ईशागढ़ लाइन की जगह अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन का निर्माण अधिक व्यवहार्य होगा क्योंकि मार्ग की लंबाई 43 किमी से कम हो जाएगी। हालांकि, मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) ने मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) से अनुस्मारक (फरवरी 2015) प्राप्त होने तक प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तदनुसार, प्रस्ताव को मंजूरी (फरवरी 2015) दी गई और मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) द्वारा कार्यादेश (जुलाई 2015) जारी किया गया और यह कार्य सितंबर 2016 में ₹ 10.28 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। साथ ही, कम्पनी ने गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण के कार्य को भी जारी रखा, जिसकी वजह अभिलेखों में दर्ज नहीं थी। यह कार्य अब तक ₹ 6.16 करोड़ के व्यय के बाद पूर्ण नहीं हुआ था (दिसंबर 2017)। अतः अधिक व्यवहार्य अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन की प्रथम चरण में पहचान करने में मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) की विफलता तथा मुख्य अभियंता (ईएचटी-निर्माण) के प्रस्ताव (जुलाई 2013) के बाद भी गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण को जारी रखने के परिणामस्वरूप अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन पर ₹ 6.16 करोड़ (जून 2013 से अक्टूबर 2017) का निरर्थक व्यय किया गया।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2017) कि अशोकनगर क्षेत्र की तत्काल भार की मांग को देखते हुए और गुना-ईशागढ़ लाइन के पूर्ण होने में देरी की वजह से कम्पनी ने अशोकनगर से ईशागढ़ तक एक अलग छोटी लंबाई की लाइन बनाई। विभाग ने यह भी कहा कि गुना-ईशागढ़ लाइन पर व्यय निरर्थक नहीं है क्योंकि यह सिस्टम मजबूती के लिए 132 केव्ही ईशागढ़ सब-स्टेशन को वैकल्पिक बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईशागढ़ एक छोटी तहसील है, जिसके लिए दो तरफ से वैकल्पिक बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण के लिए यह औचित्य लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत फाइलों में दर्ज नहीं था और स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है। परिणामस्वरूप, अशोकनगर-ईशागढ़ लाइन के निर्माण के बाद गुना-ईशागढ़ लाइन के निर्माण का उद्देश्य व्यर्थ हो गया है और उस पर किया गया व्यय निरर्थक है।

ट्रांसमिशन लाइन पर परिहार्य व्यय

2.1.27 132 केव्ही पनागर-कटंगी लाइन का निर्माण (मार्ग की लंबाई: 29.47 किमी) आरम्भ में डीसीएसएस लाइन के रूप में प्रस्तावित था तथा कार्यादेश ₹ 10.73 करोड़ की लागत पर जारी किया गया था (मार्च 2014)। यद्यपि, भावी आवश्यकता और आरओडब्ल्यू

⁴¹ डीसीएसएस लाइन डबल सर्किट टावरों को संदर्भित करती है, जिसमें सिंगल ट्रांसमिशन सर्किट बनाने के लिए कुल तीन कंडक्टर प्रदान किए जाते हैं।

मुद्दों का हवाला देते हुए मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) ने दोनों लाइनों के छोर पर सभी सर्किटों की स्ट्रिंग के साथ यानि कटंगी सब-स्टेशन की तरफ 19 टावरों पर (5.34 किमी) और पनागर सब-स्टेशन की तरफ सात टावरों पर (1.21 किमी), मल्टी सर्किट टावरों⁴² के निर्माण के निष्पादन का प्रस्ताव दिया जिसके लिए प्रबंध निदेशक ने कार्योत्तर अनुमोदन (अप्रैल 2017) प्रदान किया। चूंकि कटंगी सब-स्टेशन, जिसकी 40 एमवीए की ट्रांसफॉर्मर क्षमता थी, से केवल चार 33 केव्ही आउटगोइंग फीडर जुड़े हुये थे, और मल्टी सर्किट टावरों से केवल एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी, अतः सभी सर्किटों की स्ट्रिंग की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार मल्टी सर्किट टावरों को स्ट्रिंग करने में किए गए ₹ 1.25 करोड़ की अतिरिक्त लागत, सब-स्टेशन की स्थापना की तिथि (जुलाई 2016) से निष्फल रही। डीसीएसएस टॉवर और मल्टी सर्किट टॉवर के बीच अंतर नीचे दिए गए आरेख में चित्रित किया गया है।

डीसीएसएस टॉवर और मल्टी सर्किट टॉवर के बीच अंतर



डबल सर्किट सिंगल स्ट्रिंग टॉवर

मल्टी सर्किट टावर

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)⁴³ तथा अन्य भावी संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए, लाइन के उस हिस्से के लिए मल्टी सर्किट टावरों का निर्माण व सभी सर्किट की स्ट्रिंगिंग जरूरी थी और यह भविष्य की योजना का हिस्सा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भविष्य में आरओडब्ल्यू की समस्याएं उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि लाइन के टावरों का निर्माण पहले ही हो चुका है। इसके अलावा, इसी तरह के मामलों में कम्पनी ने आरओडब्ल्यू समस्याओं का सामना किए बिना दूसरे स्ट्रिंग कार्यों⁴⁴ को पूर्ण किया था। इसके अलावा इस चरण में पनागर-कटंगी लाइन के मार्ग में भविष्य में आरओडब्ल्यू समस्या उत्पन्न करने वाले कारक रेलवे क्रॉसिंग, वायु पट्टी, खनन और वन भूमि नहीं थे।

⁴² मल्टी सर्किट टावरस उस व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें चार अलग-अलग ट्रांसमिशन सर्किट बनाने के लिए कुल 12 कंडक्टर लगाये जाते हैं।

⁴³ लाइन के मार्ग में रेलवे क्रॉसिंग, कृषि भूमि, वायुपट्टी, खनन और वन भूमि का पाया जाना।

⁴⁴ 132 केव्ही गैरतगंज-विदिशा लाइन, 132 केव्ही बैतुल-गुडगाँव लाइन, 132 केव्ही नीमच-रतनगढ़ लाइन, 132 केव्ही सागर-गुजरमहर लाइन की सेकंड स्ट्रिंगिंग, 132 केव्ही बीना-मुंगावली लाइन की थर्ड स्ट्रिंगिंग।

सब-स्टेशनों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली की स्थापना

2.1.28 ट्रांसमिशन सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और भार प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने स्काडा प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी (मार्च 2013) दी, जो सभी ईएचटी सब-स्टेशनों की उचित और प्रभावी निगरानी और नियंत्रण को सक्षम बनाता है। तदनुसार, 330 ईएचटी सब-स्टेशनों पर स्काडा प्रणाली की स्थापना का कार्य सितंबर 2015 तक पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के साथ ₹ 48.31 करोड़ की लागत पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मेसर्स डोंगफांग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लिमिटेड, चीन को प्रदान (सितंबर 2013) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना के लिए योजनाबद्ध 330 सब-स्टेशनों में से, छह सब-स्टेशनों के कार्य अभी भी लंबित थे (दिसंबर 2017), और इस प्रकार निर्धारित पूर्णता तिथि की समाप्ति के दो वर्ष के बाद भी छह अपूर्ण सब-स्टेशन स्काडा से जुड़े नहीं थे। इसके अलावा, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने सूचित किया कि 25 सब-स्टेशनों में, जहां स्काडा सिस्टम स्थापित किए गए थे, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स⁴⁵ (आरटीयू) के उन्नयन की आवश्यकता थी (दिसंबर 2017), क्योंकि वे गलत टेलीमैट्री⁴⁶ प्रदान कर रहे थे। कम्पनी के अधिकारी⁴⁷ एसएलडीसी द्वारा बार-बार इंगित किए जाने के बाद भी इस मुद्दे को हल करने में असफल रहे, जिसके कारणों को अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, योजना शाखा स्काडा प्रणाली को पूर्ण करने और सभी सब-स्टेशनों के साथ एकीकृत करने में विफल रहा और स्काडा की स्थापना का उद्देश्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि स्काडा प्रणाली को अधिकांश सब-स्टेशनों पर संबंधित स्काडा नियंत्रण केंद्र के साथ एकीकृत किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छह अपूर्ण सब-स्टेशनों को अभी भी स्काडा के साथ एकीकृत किया जाना है (दिसंबर 2017)। इसके अलावा, 25 सब-स्टेशनों पर स्थापित आरटीयू गलत टेलीमैट्री प्रदान कर रहे थे। अतः उपरोक्त सब-स्टेशनों में स्काडा प्रणाली का उद्देश्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था।

अनुशंसा: कम्पनी को स्काडा प्रणाली के साथ सभी सब-स्टेशनों को परस्पर जोड़ने और सब-स्टेशनों की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए इसका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन

2.1.29 ट्रांसमिशन कार्यों तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, कम्पनी अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं नामतः जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) तथा केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्ल्यू) से ऋण लेती है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लिए गए ऋण का विवरण तालिका क्रमांक 2.1.5 में दिया गया है।

⁴⁵ रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) एक माइक्रोप्रोसेसर-नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो टेलीमैट्री डेटा को मास्टर सिस्टम में प्रेषित करके स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली के साथ इंटरफेस करता है।

⁴⁶ एक उपकरण की रीडिंग की रिकॉर्डिंग और उसके प्रेषण की प्रक्रिया।

⁴⁷ कार्यपालन अभियंता (संचार), सहायक अभियंता (संचार), अधीक्षण अभियंता (स्काडा), कार्यपालन अभियंता (स्काडा)

तालिका क्रमांक 2.1.5 (राशि ₹ करोड़ में)									
क्रमांक संख्या	वित्तीय संस्था	स्वीकृत राशि	वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत करने की तिथि	संवितरित राशि					योग
				2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
1	जेआईसीए का ऋण क्रमांक 1	1,038.00	जून 2011	123.35	146.19	158.16	132.42	73.70	633.82
2	एडीबी का ऋण क्रमांक 3	1,250.00	फरवरी 2014	53.40	24.29	104.35	73.21	115.91	371.16
3	पीएफसी	492.00	सितम्बर 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	आरईसी	410.70	मई 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	केएफडब्ल्यू	840.00	जून 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	जेआईसीए का ऋण क्रमांक 2	840.00	मार्च 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		4,870.70		176.75	170.48	262.51	205.63	189.61	1,004.98

परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन में पाई गई कमियां नीचे उल्लेखित की गई हैं।

कमिटमेंट प्रभारों और ब्याज का परिहार्य भुगतान

2.1.30 जेआईसीए, एडीबी और केएफडब्ल्यू से लिए गए ऋणों की अनाहरित राशि पर कमिटमेंट प्रभार देय है। कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कारणों से देरी के कारण (जैसा की कड़िका 2.1.19, 2.1.20 तथा 2.1.21 में वर्णित किया गया है) जेआईसीए का ऋण क्रमांक 1 तथा एडीबी का ऋण क्रमांक 3 की राशि के आहरण में विलम्ब हुआ। देरी से ऋण राशियों के आहरण के कारण, कम्पनी पर ₹ 8.29 करोड़ (एडीबी-₹ 4.37 करोड़ और जेआईसीए-₹ 3.92 करोड़) के कमिटमेंट प्रभारों के भुगतान हेतु देयता है, जिनका परिहार्य किया जा सकता था, यदि कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण होते।

जेआईसीए का ऋण क्रमांक 2 एवं केएफडब्ल्यू के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु अनुबंध निष्पादित (मार्च 2016 से जून 2016) किये गये, परन्तु ऋण की राशि अभी तक आहरित नहीं की गई (दिसम्बर 2017) क्योंकि प्रस्तावित परियोजनायें प्रारंभिक चरण में हैं। इन ऋणों पर भी कमिटमेंट प्रभार देय होंगे।

साथ ही, 12 टर्नकी अनुबंधों के 33 कार्यों के सम्बन्ध में जिनमें कोई भी प्रगति दर्ज नहीं की गई थी, कम्पनी पर वित्तीय संस्थाओं⁴⁸ से ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान हेतु आहरित ऋणों पर ₹ 1.90 करोड़ का ब्याज भुगतान की देयता है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि लेखों में कमिटमेंट प्रभारों की देयता मात्र स्थापित की गई है तथा उनका भुगतान नहीं किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा कमिटमेंट प्रभार समाप्त नहीं किये गए हैं तथा स्थापित की गई देयताओं का अंततः भुगतान किया जाना आवश्यक है।

अग्रिम के विरुद्ध बैंक गारंटी के नगदीकरण में असफलता

2.1.31 मेसर्स आइसोलक्स इन्जीनिरिया को प्रदान किये गये (मई 2013) टर्नकी अनुबंध के सम्बन्ध में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक गारंटी के विरुद्ध समतुल्य राशि ₹ 25.27 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम ठेकेदार को प्रदाय किया गया (मई 2013)। बैंक गारंटी की शर्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम आवश्यक रूप से उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में प्राप्त किया जाना था।

ठेकेदार के खराब निष्पादन (जैसा की कड़िका 2.1.22 में वर्णित किया गया है) के फलस्वरूप, प्रोक्योरमेंट शाखा ने बैंक गारंटी के नगदीकरण का दावा बैंक को प्रस्तुत

⁴⁸ जेआईसीए का ऋण क्रमांक-1 तथा एडीबी का ऋण क्रमांक-3

(अक्टूबर 2016) किया। यद्यपि, बैंक ने दावे को अस्वीकार (अक्टूबर 2016) कर दिया क्योंकि अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), बैंक गारंटी की शर्त के अनुसार अग्रिम की राशि को ठेकेदार के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में प्रदाय करने में असफल रहे। अतः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की लापरवाही के कारण कम्पनी बैंक गारंटी का नगदीकरण करने में असफल रही।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि बैंक गारंटी के नगदीकरण का मामला, उपभोक्ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्ष (सीईपीसी), नई दिल्ली के पास लंबित है।

तथ्य शेष है कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की लापरवाही के कारण कम्पनी बैंक गारंटी का नगदीकरण नहीं कर सकी।

ठेकेदार से जोखिम और लागत राशि की वसूली न होना

2.1.32 जुलवानिया में 400 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण के लिए मैसर्स ईसीआई-कॉम, हैदराबाद के साथ ₹ 36.07 करोड़ की लागत का अनुबंध (मार्च 2011) किया गया था, जो कि संसाधनों की गैर-तैनाती और ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रगति की कमी के कारण से समाप्त (मई 2012) किया गया। कार्य को मूल ठेकेदार की जोखिम और लागत पर ₹ 42.05 करोड़ के साथ मैसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता को पुनः प्रदाय किया गया (फरवरी 2013)। पीबीजी राशि के समायोजन के बाद कम्पनी ने ठेकेदार से शेष कार्य हेतु किए गए अतिरिक्त व्यय की राशि ₹ 4.54 करोड़ की मांग की। हालांकि, मैसर्स ईसीआई-कॉम ने दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि पुनः जारी अनुबंध, मूल अनुबंध की समान नियमों और शर्तों पर नहीं था। इस प्रकार, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) की अध्यक्षता वाली प्रोक्योरमेंट शाखा, पाँच वर्ष से अधिक व्यतीत होने के पश्चात भी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने में और शेष राशि वसूलने में कोई कार्रवाई करने में विफल रही (दिसंबर 2017)।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2017) कि, कुछ मामूली संशोधन को छोड़कर, दोनों अनुबंधों के नियम और शर्तें समान थीं। हालांकि, ठेकेदार ने जोखिम और लागत के दावे को खारिज कर दिया है। यद्यपि, कम्पनी ठेकेदार के अन्य अनुबंधों की पीबीजी (₹ 5.68 करोड़) से वसूली आरम्भ करेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने असमान शर्तों⁴⁹ पर अनुबंध को पुनः प्रदाय किया, जिसके परिणामस्वरूप, अनुबंध की समाप्ति से पांच वर्ष के बाद भी ₹ 4.54 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, अन्य अनुबंधों की पीबीजी से बकाया राशि की वसूली के लिए अनुबंध में कोई वाक्य नहीं था।

निष्कर्ष

- ईआरपी परियोजना का कार्यान्वयन लंबित था और इस प्रकार कार्य प्रवाह में सुधार करने के और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।
- कम्पनी ने ट्रांसमिशन प्रणाली के लिये परिपेक्ष्य योजना विकसित नहीं की थी तथा वार्षिक पूंजी व्यय योजनायें, निदेशक मंडल तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

⁴⁹ पुनः प्रदाय अनुबंध में ₹ 7.95 करोड़ की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे 48 व्ही 300 एएच बैटरी, 48 व्ही 30 एएच बैटरी चार्जर, स्पेयर की आपूर्ति और अतिरिक्त सिविल कार्य को सम्मिलित करने के कारण कार्य का दायरा अलग था।

- कार्यों को वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित न करने, अनुमोदित डीपीआर में नियोजित कार्यों को निष्पादित न करने तथा कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण, कम्पनी पांच वार्षिक योजना (2012-17) में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।
- कार्यों को पूर्ण करने में देरी/कार्यों की अपूर्णता के कारण ट्रांसमिशन हानियों को कम करने के लक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुए। कार्यों की खराब प्रगति के मुख्य कारण विस्तृत सर्वेक्षण के बिना कार्यों को प्रारंभ करना, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्यादेश जारी करने, लेआउट तथा ड्राइंग के अन्तिमिकरण में कमियां तथा टर्नकी कार्य अनुबंधों के निष्पादन में ठेकेदारों की खराब प्रगति थे।
- कनेक्टिंग ट्रांसमिशन लाइनों की अपूर्णता के कारण पूर्ण हो चुके सब-स्टेशन अप्रयुक्त रहे। वितरण कम्पनियों की अपने फीडरों को ट्रांसमिशन कम्पनी के स्थापित सब-स्टेशनों से जोड़ने में देरी तथा असफलता रही, जिस कारण सब-स्टेशनों के निर्माण के उद्देश्य पूरे नहीं हुए।
- सब-स्टेशन स्काडा से नहीं जोड़े गये और/अथवा गलत टेलीमेट्री प्रदान कर रहे थे, जिस कारण सब-स्टेशनों के प्रभावकारी निगरानी तथा नियंत्रण के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे।
- वित्तीय संस्थाओं से ऋण राशियों के आहरण में देरी के कारण कम्पनी पर ₹ 8.29 करोड़ के कमिटमेंट प्रभारों के भुगतान की देयता रही।

2.2 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शासन) द्वारा प्रारम्भ किए गए बिजली क्षेत्र के सुधार के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (कम्पनी) की स्थापना 22 नवंबर 2001 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में की गयी। कम्पनी ने मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की बिजली उत्पादन गतिविधियों को संभाला और 01 जून 2005 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया। 31 मार्च 2017 को, कम्पनी चार ताप विद्युत केन्द्रों¹ (टीपीएस) का संचालन कर रही थी, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 4,080 मेगावाट थी।

टीपीएस में उपयोग होने वाले ईंधन के दो घटक कोयला और तेल² हैं। 2014-17 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ईंधन के क्रय पर ₹ 13,263.17 करोड़³ का व्यय किया, जो कि कुल उत्पादन लागत का 56 प्रतिशत था।

संगठनात्मक संरचना

2.2.2 कम्पनी ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव है। कम्पनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) करता है। प्रबंध निदेशक (एमडी) कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्हें निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वाणिज्यिक), मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों (ईडी), मुख्य अभियंताओं (सीई) और कम्पनी सचिव द्वारा सहायता दी जाती है। मुख्य अभियंता- ईंधन प्रबंधन (एफएम) दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति अनुबंध (अनुबंध) के माध्यम से टीपीएस को सतत कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। टीपीएस का प्रमुख सीई होता है, जिसे अतिरिक्त सीई और अधीक्षण अभियंता द्वारा सहायता दी जाती है, जो नियमित संचालन और रखरखाव, सिविल कार्य, अनुबंध और सामग्री प्रबंधन, पर्यावरण और सुरक्षा मुद्दों तथा टीपीएस में कोयला हैंडलिंग गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। संबंधित टीपीएस का अतिरिक्त सीई (एफएम), टीपीएस में ईंधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

तालिका क्रमांक 2.2.1 कम्पनी में जनशक्ति की स्थिति			
कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक जनशक्ति	प्रतिशत में कमी
तकनीकी कर्मचारी	4,873	3,833	21.34
गैर तकनीकी कर्मचारी	1,490	1,200	19.46
कुल	6,363	5,033	20.90

¹ संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंगपुर (स्थापित क्षमता 1,340 मेगावाट), सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारणी (स्थापित क्षमता 1,330 मेगावाट), अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चचाई (स्थापित क्षमता 210 मेगावाट) और श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, खण्डवा (स्थापित क्षमता 1,200 मेगावाट)।

² फर्नेस तेल, लाइट डीजल तेल और हाई स्पीड डीजल तेल सम्मिलित हैं।

³ कोयला: ₹ 13,015.21 करोड़ और तेल: ₹ 247.96 करोड़।

तालिका क्रमांक 2.2.2 टीपीएस में जनशक्ति की स्थिति				
टीपीएस का नाम	कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक जनशक्ति	कमी प्रतिशत में
श्री सिंगाजी टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	769	577	24.97
	गैर तकनीकी कर्मचारी	252	110	56.35
उप-योग		1,021	687	32.71
सतपुड़ा टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	1,611	1,276	20.79
	गैर तकनीकी कर्मचारी	294	262	10.88
उप-योग		1,905	1,538	19.27
अमरकंटक टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	712	430	39.61
	गैर तकनीकी कर्मचारी	204	123	39.71
उप-योग		916	553	39.63
संजय गाँधी टीपीएस	तकनीकी कर्मचारी	1,018	852	16.31
	गैर तकनीकी कर्मचारी	282	175	37.94
उप-योग		1,300	1,027	21.00
टीपीएस सकल योग	तकनीकी कर्मचारी	4,110	3,135	23.72
	गैर तकनीकी कर्मचारी	1,032	670	35.08
	योग	5,142	3,805	26.00

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या:

- ईंधन की योजना, परिवहन, क्रय और खपत प्रभावी रूप से, मितव्ययता और कुशलतापूर्वक की गयी;
- प्रभावी ईंधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था;
- राख प्रबंधन प्रणाली पर्यावरण अधिनियम के अनुरूप थी।

लेखापरीक्षा के मानदंड

2.2.4 लेखापरीक्षा के लिए अपनाये गए मापदण्डों को निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया है:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा जारी ईंधन से संबंधित मानदंड और दिशानिर्देश;
- ईंधन प्रबंधन पर कम्पनी की नीतियां और निर्देश;
- कोयला कम्पनियों, रेलवे और ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध में निहित नियम और शर्तें; तथा
- राख प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण अधिनियम।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि


2.2.5 लेखापरीक्षा मार्च से जून 2017 के दौरान की गयी थी, जिसमें 2014-17 की अवधि के दौरान सभी चार टीपीएस में ईंधन प्रबंधन से संबंधित कम्पनी की गतिविधियां सम्मिलित थीं। लेखापरीक्षा पद्धति में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और उसके चार टीपीएस के लेखों की जाँच, लेखापरीक्षित इकाई के साथ बातचीत, लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में डेटा का विश्लेषण, लेखापरीक्षा मेमो जारी करना और ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन (विभाग) और कम्पनी को उनकी प्रतिक्रिया/उत्तर के लिए प्रारूप प्रतिवेदन जारी करना सम्मिलित हैं।

16 मार्च 2017 को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कम्पनी के एमडी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और क्षेत्र पर चर्चा की गई। 28 अक्टूबर 2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव और एमडी के साथ निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। 12 मार्च 2018 को प्रारूप प्रतिवेदन, म.प्र. शासन और कम्पनी को जारी किया गया और 12 अप्रैल 2018 को उत्तर प्राप्त हुए। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और निकास सम्मेलन में विभाग और कम्पनी के विचारों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

कोयला हैंडलिंग और विद्युत उत्पादन प्रक्रिया

2.2.6 खदानों से रेलवे वैगन के माध्यम से प्राप्त कोयला टीपीएस में ट्रैक हॉपर⁴ पर उतार दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से कोयला स्टैकिंग यार्ड में रखा जाता है। इसके बाद, कोयले को पीसा जाता है, और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला बंकर⁵ को आपूर्ति की जाती है, जिसके बाद कोयला कोल मिलों को दिया जाता है। कोल मिलों में, कोयले को बारीक पीसा जाता है और पानी को गरम करने के लिए बॉयलर में भेजा जाता है। उच्च तापमान पर उत्पन्न भाप को टरबाइन पर उच्च दबाव में स्थानांतरित किया जाता है। टरबाइन के घूर्णन को जनरेटर में स्थानांतरित किया जाता है, जो बिजली उत्पन्न करता है। स्टार्ट-अप और लौ के संतुलन के लिए बॉयलर में ईंधन तेल का प्रयोग किया जाता है।

चार्ट क्रमांक 2.1: कोयला हैंडलिंग और विद्युत उत्पादन का प्रक्रिया चार्ट



⁴ ट्रैक हॉपर का उपयोग टीपीएस में रेलवे वैगन से कोयले को उतारने के लिए किया जाता है।

⁵ कोयला बंकर को कोयले का संग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए निष्कर्षों की आगामी कंडिकाओं में व्याख्या की गयी है।

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र

2.2.7 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र वह सुरक्षा प्रणाली हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं ताकि उनकी गतिविधियों को योजनाबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा सके और उनके घोषित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसे आंतरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदान किया जाने वाला उचित आश्वासन सार्वजनिक अधिकारियों के उत्तरदायित्व को मजबूत करता है और सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ईंधन से जुड़े लेनदेन और अभिलेखों की समीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र निम्नलिखित सीमा तक अपर्याप्त थे।

- योजना, क्रय, कोयला कम्पनियों के साथ अनुबंधित मात्रा में संशोधन, ग्रेड स्लिपेज और बड़े आकार के पत्थरो से संबंधित दावों की गैर-प्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों, कोल मिल द्वारा अस्वीकृत कोयले के परिचालन मानकों में विचलन और राख में अधजले कोयले के सम्बन्ध में बीओडी को अवगत नहीं कराया गया, जिसकी कंडिकाएँ 2.2.9, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.24 और 2.2.27 में व्याख्या की गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप बीओडी द्वारा इन महत्वपूर्ण कार्यात्मक मामलों की निगरानी में कमी हुई।
- सक्षम प्राधिकारी महत्वपूर्ण निर्णय लेने और/या सरकारी निर्देशों और अनुबंधों के नियमों और शर्तों से विचलन के लिए अनुमोदन के दौरान विशिष्ट कारणों या औचित्य दर्ज करने की प्रणाली का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी कंडिकाएँ 2.2.9, 2.2.20, 2.2.22 और 2.2.29 में व्याख्या की गयी है।
- कोल मिल अस्विकारों, एसएचआर, अधजले कोयले और ईंधन तेल के संबंध में अपने परिचालन मानदंडों को प्राप्त करने में कमी के लिए विस्तृत कारण विश्लेषण के बिना कम्पनी द्वारा कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी कंडिकाएँ 2.2.24, 2.2.26, 2.2.27 और 2.2.30 में व्याख्या की गई है। इसके अलावा, परिचालन मानदंडों को प्राप्त न कर पाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।
- कम्पनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण शाखा नहीं थी। कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखापरीक्षा आउटसोर्स की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को बीओडी और लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कोयले की योजना और क्रय

2.2.8 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (अक्टूबर 2007) नई कोयला वितरण नीति के संदर्भ में, कोयले को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

की स्थायी लिंकेज समिति⁶ द्वारा आवंटित किया जाता है। तदनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कम्पनियों को टीपीएस के साथ अनुबंध करने थे। कम्पनी ने चार टीपीएस में कोयले की आपूर्ति हेतु सीआईएल की दो सहायक कम्पनियों⁷ के साथ सीआईएल द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मूल्य पर बीस वर्ष की अवधि के लिए छह अनुबंध किए (अगस्त 2009 और जनवरी 2016 के बीच)। कोयले की योजना और क्रय में पाई गई कमियों की आगामी कंडिकाओं में व्याख्या की गई है।

अनुबंधित मात्रा में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त देयता

2.2.9 कम्पनी के साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के साथ अनुबंध (अगस्त 2009) में अमरकंटक टीपीएस की तीन⁸ इकाइयों के लिए सालाना 20 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) कोयले की आपूर्ति निर्धारित की। कम्पनी अपने किसी बिजली संयंत्र के कोयले को अन्य बिजली संयंत्र में स्वयं की लागत पर स्थानांतरित कर सकती थी (वाक्य 3.2)। कम्पनी द्वारा रेलवे को प्रस्तुत मासिक रेल कार्यक्रम (एमआरपी⁹) के आधार पर, आपूर्तिकर्ता कोयला मंजूर करता था (वाक्य 6.1.1)। यदि आपूर्तिकर्ता वर्ष के दौरान, वार्षिक अनुबंधित मात्रा (अनुबंधित मात्रा) के 90 प्रतिशत या उससे अधिक मात्रा के बराबर मात्रा के लिए जमा एमआरपी के अनुसार कोयले की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो कम्पनी कोयले की कम आपूर्ति के सन्दर्भ में निर्धारित दरों पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र है।

इसी तरह, यदि कम्पनी एक वर्ष में अनुबंधित मात्रा के न्यूनतम 90 प्रतिशत के लिए एमआरपी जमा करने में विफल रही है, तो यह आपूर्तिकर्ता को कम कोयला उठाने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी (वाक्य 3.6.1)। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता और कम्पनी के बीच अनुबंध (वाक्य 2.2) के साथ-साथ पारस्परिक सहमति (अगस्त 2009) के अनुसार, टीपीएस की इकाइयों के वास्तविक जीवन के आधार पर अनुबंधित मात्रा संशोधित की जाएगी।

अमरकंटक टीपीएस की तीन इकाइयों में से, जिसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, दो इकाइयां¹⁰ बंद हुईं (1 मई 2014 और 13 जनवरी 2015) और इसे 4 मार्च 2016 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, टीपीएस ने परिचालित इकाई-3 के लिए कोयले की अनुबंधित मात्रा को मौजूदा 20 एलएमटी से 13 एलएमटी प्रति वर्ष तक कम करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय को अनुरोध किया (अगस्त 2016), सीई (एफएम) द्वारा उपरोक्त विषय पर कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके कारण अभिलेखों में नहीं थे। सीई (एफएम) इस मामले को बीओडी में रखने में भी विफल रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-16 की अवधि के लिए, कम्पनी ने मूल अनुबंधित मात्रा के आधार पर आपूर्तिकर्ता से कोयले की मांग की थी। आवश्यकता से अधिक प्राप्त कोयला अन्य टीपीएस में भेज दिया गया था। कम्पनी ने 2014-16 की अवधि के लिए कोयले की कम आपूर्ति के लिए ₹ 19.51 करोड़ का दावा किया (जनवरी-फरवरी 2017), जो आपूर्तिकर्ता के पास लंबित था (अक्टूबर 2017)। दूसरी तरफ, 2016-17 के दौरान अन्य टीपीएस द्वारा कोयले की कम मांग के कारण, अमरकंटक टीपीएस ने अपनी परिचालन इकाई-3 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर एमआरपी मात्रा

⁶ स्थायी लिंकेज समिति की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करते हैं और पंद्रह सदस्यों में कोयला, ऊर्जा, जहाजरानी, इस्पात तथा रेल मंत्रालयों, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियां, सीईए, नेशनल थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट इत्यादि सम्मिलित हैं।

⁷ साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर (एसईसीएल) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (डब्ल्यूसीएल)

⁸ इकाई-1 (120 मेगावॉट), इकाई-2 (120 मेगावॉट) और इकाई-3 (210 मेगावॉट)।

⁹ एमआरपी एक माह के दौरान प्रत्येक टीपीएस द्वारा आवश्यक कोयले की मात्रा निर्धारित करता है, जिसे संबंधित माह के प्रारम्भ होने से कम से कम सात कार्य दिवस पहले रेलवे के साथ दर्ज किया जाता है। इसके बाद, एमआरपी मात्रा कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकृत की जाती है।

¹⁰ इकाई-2 और इकाई-1

दो बिजली संयंत्र इकाइयों के बंद होने के बाद कम्पनी कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा संशोधित करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 6.27 एलएमटी कोयला कम उठाने के लिए एसईसीएल को ₹ 17.21 करोड़ का मुआवजे का भुगतान करने की देयता बनी।

दर्ज की। चूंकि एमआरपी मात्रा, अमरकंटक टीपीएस की अनुबंधित मात्रा¹¹ के 90 प्रतिशत से कम थी, कम्पनी 6.27 एलएमटी कोयले की कम एमआरपी दर्ज करने के लिए ₹ 17.21 करोड़ के मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि बंद इकाइयों की जगह नई इकाई की प्रस्तावित स्थापना के संदर्भ में, अनुबंधित मात्रा कम नहीं की गई। यह भी आगे कहा गया कि कम्पनी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है और एसईसीएल ने वर्ष 2016-17 के लिए कोयले को कम उठाने के लिए दावा दर्ज नहीं किया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वयं कम्पनी ने नई इकाई के 2024-25 में चालू होने का अनुमान लगाया था। इस प्रकार, कम्पनी को नई इकाई के चालू होने तक कोयला कम उठाने के लिए मुआवजा देना होगा। यह उत्तर कि, एसईसीएल द्वारा आज तक दावा नहीं किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए कम्पनी उत्तरदायी है।

अनुशंसा: कम्पनी को अपने टीपीएस में संचालित इकाइयों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कोयले का आंकलन और क्रय करना चाहिए।

निकट स्थान के आवंटित कोयले का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिवहन लागत

2.2.10 सतपुड़ा टीपीएस की मौजूदा नौ¹² इकाइयों के लिए प्रति वर्ष 66 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और कम्पनी के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ (दिसंबर 2009)। उसके बाद, सतपुड़ा टीपीएस की दो¹³ अतिरिक्त इकाइयों के संबंध में प्रति वर्ष 18.51 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए डब्ल्यूसीएल के साथ एक और अनुबंध (जनवरी 2013) निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार, कम्पनी ने श्री सिंगाजी टीपीएस की दो¹⁴ इकाइयों के लिए प्रति वर्ष 49.94 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए एसईसीएल के साथ अनुबंध किया (जनवरी 2013)।

चूंकि, अक्टूबर 2012 और जनवरी 2014 के मध्य सतपुड़ा टीपीएस (पावर हाउस-1) की पांच इकाइयों को बंद कर दिया गया, डब्ल्यूसीएल ने अनुबंधित मात्रा को 66 एलएमटी से 47.95 एलएमटी तक इन इकाइयों के बंद होने की तिथियों¹⁵ से एकतरफा संशोधित कर दिया (मई 2016)। डब्ल्यूसीएल की खदानें (402-616 किमी), एसईसीएल की खदानों (624-968 किमी) की तुलना में श्री सिंगाजी टीपीएस के अधिक पास थी। इसलिए, कम्पनी ने डब्ल्यूसीएल के 18.51 एलएमटी कोयला, जो कि सतपुड़ा टीपीएस की अतिरिक्त इकाइयों के लिए था, का विनिमय श्री सिंगाजी टीपीएस के लिए एसईसीएल के 21.67 एलएमटी समकक्ष¹⁶ कोयले से कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसी तरह सीई (एफएम), सतपुड़ा टीपीएस की बंद इकाइयों के लिए डब्ल्यूसीएल के 18.05¹⁷ एलएमटी कोयले की अनुबंधित मात्रा को श्री सिंगाजी टीपीएस के साथ विनिमय करने के लिए व्यवस्था कर सकते थे। इस प्रकार, जनवरी 2016 से मार्च 2017

श्री सिंगाजी टीपीएस के लिए एसईसीएल की दूरस्थ खदानों के कोयले को करीब की डब्ल्यूसीएल खदानों के कोयले के साथ विनिमय करने में कम्पनी विफल रही और ₹ 80.10 करोड़ की परिहार्य परिवहन लागत वहन की।

¹¹ बंद इकाई संख्या 1 और 2 सहित तीन इकाइयों के लिए अनुबंधित मात्रा।

¹² पावर हाउस 1 - 62.5 मेगावॉट की पांच इकाइयां, पावर हाउस 2 - 200 मेगावॉट की एक इकाई और 210 मेगावॉट की एक इकाई, पावर हाउस 3 - 210 मेगावॉट की दो इकाइयां।

¹³ पावर हाउस 4 - 250 मेगावॉट की दो इकाइयां।

¹⁴ 600 मेगावॉट की दो इकाइयां।

¹⁵ इकाइयों की वास्तविक बंद होने की तिथि के बाद के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ अनुबंधित मात्रा 66.00 एलएमटी से अप्रैल 2012 से 63.61 एलएमटी, अप्रैल 2013 से 55.66 एलएमटी, अप्रैल 2014 से 47.95 एलएमटी तक कम की गयी थी (मई 2016)।

¹⁶ सतपुड़ा टीपीएस से सम्बंधित डब्ल्यूसीएल का 18.513 एलएमटी कोयला, जिसकी सकल कैलोरिफिक वेल्यु 4,600-5,200 किलोकैलोरी/किलोग्राम थी, को श्री सिंगाजी टीपीएस से सम्बंधित एसईसीएल के 21.67 एलएमटी कोयला, जिसकी सकल कैलोरिफिक वेल्यु 4,300-4,600 किलोकैलोरी/किलोग्राम थी के साथ विनिमय किया गया था।

¹⁷ 66.00 एलएमटी - 47.95 एलएमटी

के दौरान एसईसीएल से वास्तव में उठाये गए 13.37 एलएमटी कोयले पर ₹ 80.10 करोड़ की परिवहन लागत बचाई जा सकती थी।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि पांच इकाईयों के बंद होने के कारण, डब्ल्यूसीएल ने एकतरफा अनुबंधित मात्रा कम कर दी और श्री सिंगाजी टीपीएस में डब्ल्यूसीएल के 18.05 एलएमटी कोयले का उपयोग करना संभव नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने डब्ल्यूसीएल द्वारा अनुबंधित मात्रा के एकतरफा कमी (मई 2016) से पहले, कोयले को विनिमय करने के लिए समय पर प्रयास नहीं किए थे। इसके अलावा, सतपुड़ा टीपीएस की अनुबंधित मात्रा को श्री सिंगाजी टीपीएस के साथ विनिमय करना संभव था क्योंकि कम्पनी जनवरी 2016 में यह कार्य कर चुकी थी।

अनुशंसा: कम्पनी को भविष्य में बंद इकाईयों के कोयले का विनिमय खदानों के नजदीक स्थित बिजली संयंत्रों के साथ सुनिश्चित करना चाहिए।

कोयले की प्राप्ति में योजना की कमी से मुआवजे का भुगतान

2.2.11 सतपुड़ा टीपीएस में कोयले की आपूर्ति के लिए दो अनुबंध (दिसंबर 2009 और जनवरी 2013) हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध के अनुसार, एक वर्ष में कोयले की वास्तविक आपूर्ति अनुबंधित मात्रा का 90 प्रतिशत से अधिक होने पर, कम्पनी डब्ल्यूसीएल को प्रोत्साहन¹⁸ देने के लिए उत्तरदायी थी (वाक्य 3.12.1)।

2015-16 के दौरान, प्रथम अनुबंध के तहत, डब्ल्यूसीएल ने अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत से 8.47 एलएमटी कोयले की अधिक आपूर्ति लिए ₹ 36.53 करोड़ प्रोत्साहन का दावा किया तथा दूसरे अनुबंध के तहत, डब्ल्यूसीएल ने 7.83 एलएमटी कम कोयला उठाने के लिए ₹ 15.53 करोड़ के मुआवजे का दावा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीई (एफएम) दोनों अनुबंधों के लिए एमआरपी को विवेकपूर्ण तरीके से जमा करके (वाक्य 6.1.1) और साथ ही कोयले कम्पनी के साथ मामला उठाकर आपूर्ति को अनुबंध के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कर सकते थे। इस प्रकार, एक ओर कम कोयला उठाने के लिए ₹ 15.53 करोड़ के मुआवजे और दूसरी ओर अधिक आपूर्ति लिए ₹ 35.43 करोड़ के प्रोत्साहन की देयता को बचाया जा सकता था। कोयले की आपूर्ति को पुनः व्यवस्थित न करने के कारण दर्ज नहीं थे।

विभाग ने कहा कि (अप्रैल 2018) डब्ल्यूसीएल द्वारा ₹ 36.53 करोड़ का दावा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि डब्ल्यूसीएल द्वारा अनुबंधित मात्रा को पूर्वप्रभाव से 66 एलएमटी से 47.95 एलएमटी तक घटा दी थी। यह भी आगे कहा गया था कि डब्ल्यूसीएल का ₹ 15.53 करोड़ का दावा मान्य नहीं होने के कारण वापस कर दिया क्योंकि मांग की गई कोयले की मात्रा की आपूर्ति करने में डब्ल्यूसीएल विफल रहा।

उत्तर मान्य नहीं है। डब्ल्यूसीएल द्वारा अनुबंधित मात्रा को इकाईयों की वास्तविक बंद होने की तिथियों से कम किया गया था और कम्पनी द्वारा बंद हुई इकाईयों की संबंधित मात्रा के लिए भी एमआरपी दर्ज करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, दावा वापस करने से कम्पनी को अपनी देयता से राहत नहीं मिल जाती। इसके अतिरिक्त, निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2017) में एमडी और सीई (एफएम) ने स्वीकार किया था कि टीपीएस के एक अनुबंध के कोयले की अनुबंधित मात्रा को दूसरे अनुबंध से पुनः व्यवस्थित करना संभव था।

अनुशंसा: कम्पनी को टीपीएस के विभिन्न अनुबंधों के तहत एमआरपी को विवेकपूर्ण तरीके से दर्ज करना चाहिए और कोयला कम्पनियों के साथ

¹⁸ कोयले की अधिक आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, कोयला कम्पनियों को वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा प्रोत्साहन देय है।

समन्वय करना चाहिए ताकि कोयले के कम उठाव/अतिरिक्त आपूर्ति को कम किया जा सके।

महंगे आयातित कोयले का अनावश्यक क्रय

2.2.12 स्वदेशी कोयले की कम आपूर्ति की प्रत्याशा में, कम्पनी ने अपने चार टीपीएस के लिए ₹ 534.45 करोड़ की लागत पर 7.0 एलएमटी आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को आदेश जारी (मार्च 2015) किया। अनुबंध की शर्तानुसार (वाक्य 6.16) कम्पनी अपने विवेकानुसार 30 दिनों की लिखित सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकती थी। उसके बाद, स्वदेशी कोयला के पर्याप्त स्टॉक और स्वदेशी कम्पनियों के कोयले की आपूर्ति के लिए तैयार होने पर विचार करते हुए, कम्पनी ने मई 2015 से जून 2016 के दौरान 4.36 एलएमटी कोयले के आयात के बाद अनुबंध को समाप्त कर दिया (नवंबर 2016)।

कम्पनी ने 1.76 एलएमटी महंगा आयातित कोयले का क्रय किया और उसी समय 12.68 एलएमटी स्वदेशी कोयले का कम उठाव किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने कोयले के आयात की अवधि के दौरान स्वदेशी कोयले के वास्तविक उठाव का विश्लेषण किया और पाया कि 1.76 एलएमटी कोयला उन महीनों के दौरान आयात किया गया था, जिनमें सस्ते स्वदेशी कोयले को 12.68 एलएमटी से कम उठाया गया था। सीई (एफएम), जो टीपीएस को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, पूर्ण स्वदेशी कोयले को उठाने और आयातित कोयले के आदेश को समाप्त करने में सावधानी बरतते तो, महंगे कोयले के क्रय से बचा जा सकता था। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, कम्पनी ने ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि शिपमेंट शेड्यूल पहले से ही अन्तिमिकृत कर दिए थे और कोयला आपूर्तिकर्ता को सूचित कर दिए थे, अतः आदेश को समाप्त नहीं किया जा सकता था। आगे यह कहा गया कि मई 2015 से जून 2016 के दौरान कोयला कम्पनियों द्वारा स्वदेशी कोयले की कम आपूर्ति की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेश (वाक्य 3.0 और अनुसूची पांच) ने कम्पनी को अधिकार दिया था कि वह टीपीएस की आवश्यकता के अनुसार वितरण शेड्यूल को विनियमित/पुनर्निर्धारित/निलंबित कर सकती थी और उपर्युक्त वाक्य लागू करके कम्पनी ने अप्रैल 2015 से जून 2016 के दौरान वितरण शेड्यूल में 26 संशोधन किए थे। इसके अलावा, कोयला कम्पनियों द्वारा कम आपूर्ति के संबंध में उत्तर गलत है क्योंकि कम्पनी ने पूर्ण आवंटित मात्रा की मांग नहीं की थी।

अनुशंसा: कम्पनी को उपलब्ध स्वदेशी कोयला को उठाना चाहिए तथा महंगे आयातित कोयले के क्रय से बचना चाहिए।

आयातित कोयले के आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

2.2.13 कम्पनी ने 8.0 एलएमटी आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए एक आपूर्ति आदेश (सितंबर 2011) मैसर्स भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड, इंदौर (बीआईएल) को ₹ 478.43 करोड़ की कुल लागत पर जारी किया, जिसकी आपूर्ति छह से आठ माह के अन्दर की जानी थी। कम्पनी ने अक्टूबर 2013 से जनवरी 2014 की अवधि के दौरान अतिरिक्त 2.0 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए एक पुनरावर्ती आदेश जारी किया (सितंबर 2013)। मैसर्स बीआईएल ने जुलाई 2014 तक 9.71 एलएमटी कोयले की आपूर्ति की और 0.29 एलएमटी की शेष मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई।

आपूर्ति आदेश के जोखिम खरीद वाक्य (6.12) को लागू करके कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता से ₹ 2.78 करोड़ वसूल किए थे। इसके अलावा, वाक्य 9.01 के अनुसार, कम्पनी को अनुबंध के अनिष्पादित हिस्से के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाना था। हालांकि, चूंकि अनुबंध लंबे समय तक संचालित हुआ था, कम्पनी ने प्रबंध निदेशक की मंजूरी के

साथ, ₹ 1.71 करोड़ जुर्माना लगाए बिना अनुबंध समाप्त कर दिया और इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ता केवल सितंबर 2011 से जुलाई 2014 तक संलग्न रहा था, और इसलिए किसी भी एकतरफा लाभ/रियायत की पात्रता नहीं रखता था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि चूंकि कम्पनी द्वारा जोखिम खरीद वाक्य का पहले ही प्रयोग किया गया, जुर्माने का वाक्य लागू नहीं किया गया। यह भी आगे कहा गया कि कम्पनी द्वारा जुर्माना वसूल किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुर्माने का वाक्य (6.12) और जोखिम खरीद वाक्य (9.01) अलग और पृथक¹⁹ हैं। इसके अलावा, विभाग ने जुर्माना वसूलने का कोई सबूत नहीं दिया।

अनुशंसा: अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी को आपूर्तिकर्ता से जुर्माना वसूल करना चाहिए।

कोयला की गुणवत्ता आश्वासन

2.2.14 कोयला कम्पनियां सीआईएल द्वारा निर्धारित कोयले की ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी²⁰) के घोषित ग्रेड की दर के आधार पर बिलों को जारी करती हैं। अनुबंध की अनुसूची-4 के अनुसार, कोयला लोडिंग की जगह पर विक्रेता और क्रेता की उपस्थिति में कोयले के नमूनों को संयुक्त रूप से एकत्रित किया जाएगा और इसकी गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए नामित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाएगा। गुणवत्ता के विश्लेषण के परिणामों के मासिक विवरण संयुक्त रूप से प्रमाणित किए जाते हैं और कोयले के घोषित ग्रेड के आधार पर मूल रूप से जारी किये गए बिलों को उपर्युक्त विश्लेषण में निर्धारित वास्तविक गुणवत्ता के आधार पर समायोजित किया जाता है। लोडिंग की जगह पर नमूना परीक्षण में विश्लेषित जीसीवी और वास्तविक जारी किये गए बिलों में घोषित ग्रेड के अंतर को कोयले का “ग्रेड स्लिपेज” कहा जाता है। हालांकि, कोयले आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन नहीं करने के कारण, कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण में कई विवाद हुये, जिनकी व्याख्या नीचे की गई है।

कोयला के ग्रेड स्लिपेज के मुआवजे की वसूली करने में विफलता

2.2.15 अनुबंध के अनुसार, कोयला आपूर्तिकर्ता ग्रेड स्लिपेज के कारण, कोयले का विश्लेषण उपरांत प्राप्त ग्रेड और जारी किये गए बिलों में घोषित ग्रेड के बीच मूल्य के अंतर का नियमित क्रेडिट नोट, दोनों पक्षों द्वारा परिणामों की स्वीकृति के सात दिनों के अन्दर देने के लिए बाध्य था (वाक्य 11.2.2)। अनुबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था जिसके तहत कम्पनी ग्रेड स्लिपेज के लिए दावा दर्ज कर सके।

हालांकि, चूंकि कोयला कम्पनियां क्रेडिट नोट जारी नहीं कर रहीं थी, टीपीएस अपने वित्तीय हित में स्वतः ग्रेड स्लिपेज दावों को कोयला कम्पनियों पर दर्ज कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने 2014-17 की अवधि से संबंधित ग्रेड स्लिपेज दावों का विश्लेषण किया और देखा कि कोयला कम्पनियों ने कम्पनी द्वारा दर्ज किये गए दावों का निराकरण नहीं किया था और प्रत्येक टीपीएस ने इस मुद्दे को नीचे बताए अनुसार विभिन्न तरीकों से निपटा।

¹⁹ वाक्य 6.12 के अनुसार विक्रेता, कोयले की अनिष्पादित आपूर्ति की खरीद पर, खरीददार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, वाक्य 9.01 के अनुसार विक्रेता अनिष्पादित अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

²⁰ एक किलोग्राम कोयले का पूरा दहन करके उत्पादित किलो कैलोरी हीट

➤ सतपुड़ा टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने 2014-17 की पूरी अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 65.13 करोड़) को दर्ज किया था और कोयले आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट नोट की प्राप्ति न होने के कारण, बिलों के निराकरण के दौरान दावा राशि को रोक दिया गया। हालांकि, अमरकंटक टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने 2015-17 की अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 23.72 करोड़) को दर्ज कराया था, लेकिन ₹ 14.68 करोड़ की बकाया दावे की राशि को रोक नहीं था और इसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। संजय गांधी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने न तो औपचारिक रूप से ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 349.83 करोड़) को दर्ज किया और न ही 2014-16 की अवधि के लिए कोयला आपूर्तिकर्ता (एसईसीएल) को ग्रेड स्लिपेज परिणाम संचारित करने के बाद भी दावे की राशि को नहीं रोक और इसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किये गए। हालांकि, बाद के वर्ष (2016-17) के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों (₹ 56.20 करोड़) को कोयले आपूर्तिकर्ता की देनदारियों में से रोक दिया गया था।

➤ श्री सिंगाजी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने अप्रैल 2014 से जुलाई 2015 की अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज से संबंधित अभिलेख नहीं बनाये जिसका कारण दर्ज नहीं किया गया। इसलिए, टीपीएस इस अवधि के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों का आंकलन करने में विफल रहा। इसके अलावा, अतिरिक्त सीई (एफएम) ने अगस्त 2015 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 59.14 करोड़ के ग्रेड स्लिपेज दावों को दर्ज किया था, लेकिन कोयला कम्पनियों द्वारा जमा की गई राशि/टीपीएस द्वारा रोकी गई राशि ₹ 24.33 करोड़ ही थी तथा ₹ 34.81 करोड़ की शेष राशि नहीं वसूली गई, जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

➤ लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ग्रेड स्लिपेज से संबंधित मामलों को कभी भी बीओडी में नहीं रखा गया था। नतीजतन, ग्रेड स्लिपेज दावों के संबंध में टीपीएस द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि, अनुबंध के अनुसार, ग्रेड स्लिपेज की गणना और क्रेडिट नोट जारी करना कोयला आपूर्तिकर्ता के दायरे में हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च²¹ (सीआईएमएफआर) की एकमात्र तृतीय पक्ष नमूना एजेंसी के रूप में नियुक्ति (जुलाई 2016) के बाद, या तो क्रेडिट नोट प्राप्त किए जा रहे हैं या राशि नियमित रूप से रोकी जा रही है। यह भी आगे कहा गया कि दावों की वसूली के लिए किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, ग्रेड स्लिपेज की राशि को रोकना उचित नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्रेड स्लिपेज दावों को विभिन्न टीपीएस द्वारा विभिन्न तरीकों से निपटा गया। जैसा कि पहले व्याख्या की गयी है, सतपुड़ा टीपीएस और संजय गांधी टीपीएस ने 2016-17 के लिए ग्रेड स्लिपेज दावों को रोक था। इसके अलावा, एक तरफ, कम्पनी ग्रेड स्लिपेज के विरुद्ध दावों को रोकती है और दूसरी ओर यह बताती है कि इस तरह दावों को रोकना अनुचित हैं, जो विरोधाभासी है। इसके अलावा, सीआईएमएफआर को केवल कोयले के नमूने और ग्रेड स्लिपेज को सूचित करने का काम सौंपा गया है। क्रेडिट नोट जारी करने या लंबित दावों को रोकने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए विभाग का उत्तर अप्रासंगिक है।

अनुशंसा: ग्रेड स्लिपेज के संबंध में कोयला आपूर्ति अनुबंध के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी को कोयला कम्पनियों के उच्च प्रबंधन के साथ सक्रिय रूप से अनुगमन करना चाहिए।

²¹ दोनों पक्षों की ओर से कोयले के संग्रह, तैयारी और गुणवत्ता विश्लेषण के लिए कम्पनी और कोयला कम्पनियों द्वारा सीआईएमएफआर को संयुक्त रूप से नियुक्त (जुलाई 2016) किया गया था।

बड़े आकार के पत्थरों के दावों की वसूली न होना

2.2.16 अनुबंध के अनुसार, कोयले में बड़े आकार के²² पत्थरों का मूल्यांकन टीपीएस के प्रतिनिधि और कोयला कम्पनी द्वारा टीपीएस में संयुक्त रूप से किया जाएगा (वाक्य 4.6.2)। यदि कोयला कम्पनी का प्रतिनिधि संयुक्त मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो टीपीएस द्वारा मूल्यांकन किए गए बड़े आकार के पत्थरों की मात्रा को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा (वाक्य 4.6.3)। कोयला कम्पनियां नियमित रूप से क्रेडिट नोट जारी करके बड़े आकार के पत्थरों की मात्रा का औसत आधार मूल्य और अन्य शुल्क²³ समायोजित करेंगे (वाक्य 8.2 और 9.1)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए टीपीएस के बड़े आकार के पत्थरों के ₹ 5.85 करोड़ के दावों को कोयले कम्पनियों द्वारा स्वीकृत किया गया था। हालांकि, कोयला कम्पनियों द्वारा बिलों में केवल ₹ 4.82 करोड़ की राशि समायोजित की गई थी और टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) द्वारा प्रभावी अनुपालन की कमी के कारण ₹ 1.03 करोड़ की वसूली लंबित थी। इसके अलावा, जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए, टीपीएस में ₹ 1.27 करोड़ की कीमत वाले 7,724.27 मीट्रिक टन बड़े आकार के पत्थर प्राप्त हुये। यह कहकर कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जनवरी 2016 से टीपीएस को केवल 100 मिमी कोयले की आपूर्ति की गई थी, कोयला कम्पनियों ने संयुक्त निरीक्षण के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कोयला कम्पनियों द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के उपरोक्त अनुपालन न होने के बावजूद, बीओडी द्वारा मामलों पर चर्चा नहीं की गई और कोयला कम्पनियों के साथ मुद्दे को नहीं उठाया। इससे बीओडी द्वारा निगरानी की कमी दिखती हैं।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि कम्पनी द्वारा दावों का अनुगमन नियमित रूप से किया गया था। इसके अलावा, जनवरी 2016 से कोयला कम्पनियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रतिनिधियों की गैर-तैनाती के संदर्भ में, टीपीएस ने स्वयं बड़े आकार के पत्थरों का एकतरफा मूल्यांकन कर दावों को दर्ज किया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा अप्रभावी अनुपालन के कारण कोयले कम्पनियों से ₹ 2.30 करोड़ के दावे वसूली के लिए लंबित²⁴ थे और बीओडी भी उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इस मामले को संज्ञान लेने में असफल रहा। इसके अलावा, कोयले कम्पनियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रतिनिधियों की गैर-तैनाती के कारण एकतरफा मूल्यांकन के आधार पर दावों को दर्ज करने के संबंध में उत्तर प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ऊपर व्याख्या की गयी है कि अनुबंध के वाक्य 4.6.3 के अनुसार कम्पनी द्वारा यह किया जाना चाहिए था।

अनुशंसा: कोयला कम्पनियों द्वारा समझौते की शर्तों का अनुपालन न करना और क्रेडिट नोटों के जारी न करने के मामले को कम्पनी द्वारा उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनके उच्च प्रबंधन के साथ उठाना चाहिए।

²² 250 मिमी से अधिक आकार

²³ रॉयल्टी, सेस, शुल्क इत्यादि जैसे सांविधिक शुल्क और रेलवे ढुलाई को छोड़कर साईजिंग शुल्क, तेज लदान शुल्क इत्यादि।

²⁴ अप्रैल 2014 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए ₹ 1.03 करोड़ और जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.27 करोड़।

कोयले का परिवहन

2.2.17 क्रय किया गया कोयला, कोयले की खदानों से रेलवे वैगन, ट्रक और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कम्पनी के टीपीएस में ले जाया जाता है। भाड़ा, कोयले की लागत का एक प्रमुख घटक है और यह रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

रेलवे भाड़े का अतिरिक्त भुगतान

2.2.18 कोयले रिक के डायवर्जन और माल भाड़ा के संग्रहण के लिए ई-भुगतान सुविधा के संबंध में रेलवे ने नियम और प्रक्रिया निर्धारित की थी (जुलाई 2014)। इन नियमों के अनुसार, ई-भुगतान का लाभ उठाने वाले ग्राहकों द्वारा रिक के डायवर्जन के मामले में, मूल स्टेशन पर सिस्टम माल भाड़े के अंतर²⁵ की गणना और ई-भुगतान खाते के माध्यम से एकत्रित करेगा। इस उद्देश्य के लिए, कम्पनी को बैंकों के साथ एक केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता बनाए रखना आवश्यक है। केंद्रीकृत ई-भुगतान खाते की अनुपस्थिति में, रिक के डायवर्जन के मामले में, रेलवे दो पूर्ण माल भाड़ा एकत्रित करता है, अर्थात् मूल गंतव्य के लिए एक और बदले गए गंतव्य के लिए दूसरा। कम्पनी द्वारा मूल गंतव्य के माल भाड़े की वापसी के लिए रेलवे पर दावा बाद में दर्ज किया जाता है (रेलवे अधिनियम, 1989 के नियम 106)।

रेलवे माल भाड़े के भुगतान के लिए केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने में कम्पनी विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.30 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीकृत ई-भुगतान प्रणाली जुलाई 2014 में उपलब्ध थी। इसके बाद, कम्पनी द्वारा मूल गंतव्य के लिए भुगतान किए गए माल भाड़े को परिवर्तित गंतव्य के लिये देय भाड़े में समायोजित करने के अनुरोध पर रेलवे ने भी सूचित किया था (जनवरी 2016) कि कम्पनी को केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने चाहिए। हालांकि, सीई (एफएम) ने केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने के लिए अप्रैल 2017 तक प्रयास नहीं किये। कम्पनी द्वारा पूछताछ (मई 2017) के उत्तर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने केंद्रीकृत ई-भुगतान खाते खोलने की औपचारिकताओं को सूचित (जुलाई 2017) किया था। इसके बाद, कम्पनी ने सितंबर 2017 में एसईसीआर के साथ खाता खोला। हालांकि, मध्य रेलवे²⁶ के साथ खाता अभी तक खोला नहीं गया।

नतीजतन, माल भाड़े के अंतर के बजाय रेलवे ने रिक के डायवर्जन के लिए पूर्ण अतिरिक्त माल भाड़ा वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 45.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। हालांकि, मूल गंतव्य के माल भाड़े की वापसी के लिए कम्पनी द्वारा प्राथमिकता के साथ रेलवे के साथ नियमित दावे दर्ज किये, लेकिन कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी (अक्टूबर 2017)। नतीजतन, रेलवे के पास ₹ 45.15 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही जिस पर कम्पनी को ₹ 6.30 करोड़²⁷ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। केंद्रीकृत ई-भुगतान खाते खोलने में देरी के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं किए गए थे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता सितंबर 2017 में एसईसीआर के लिए खोला गया था। इसके अनुभव के आधार पर, डब्ल्यूसीएल से कोयले की आपूर्ति के लिए मध्य रेलवे के साथ ई-भुगतान खाता खोला जाएगा।

²⁵ मूल रेलवे रसीद (ओआरआर) के अनुसार पहले से भुगतान किया गया माल भाड़ा और सुपर सेशनल रेलवे रसीद (एसआरआर) के अनुसार देय माल भाड़े की राशि का अंतर

²⁶ कम्पनी को दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे (एसईसीआर) और मध्य रेलवे के साथ अलग-अलग केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने की आवश्यकता थी क्योंकि कम्पनी को दोनों रेलवे के माध्यम से कोयला प्राप्त होता है।

²⁷ लेखापरीक्षा ने ब्याज की हानि की गणना मूल गंतव्य के भाड़े के वास्तविक भुगतान की तारीख से 10.65 प्रतिशत वार्षिक की दर से की है, जो कि न्यूनतम ब्याज दर थी जिस पर कम्पनी ने 2014-17 के दौरान कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लिया।

उत्तर मान्य नहीं है और स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है। केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने की सुविधा और इसके लाभ रेलवे द्वारा जुलाई 2014 में बताये गए थे, लेकिन कम्पनी सितंबर 2017 तक खाता खोलने में विफल रही। एसईसीआर के साथ ई-भुगतान खाता के अनुभव के आधार पर मध्य रेलवे के साथ खाता खोला जाएगा भी मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी पहले ही केंद्रीकृत ई-भुगतान खाते के लाभों से अवगत है।

अनुशंसा: भविष्य में निधि के अवरोध और ब्याज की हानि से बचने के लिए कम्पनी को मध्य रेलवे के साथ केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

निष्क्रिय भाड़ा प्रभार की वसूली न होना

2.2.19 कोयला कम्पनियों के साथ कम्पनी के अनुबंध के अनुसार कोयला कम्पनियों द्वारा वैगनो में कम लदान किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा रेलवे को देय निष्क्रिय भाड़े की क्षतिपूर्ति की राशि, उनके कोयला बिलों से समायोजित की जायेगी (वाक्य 10.3)। तथापि कोयला कम्पनियों द्वारा रेलवे को भुगतान किए गए निष्क्रिय भाड़े को पूर्णरूप से समायोजित नहीं किया गया। अतः कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों के लिए उक्त असमायोजित राशि का निर्धारण एवं कोयला कम्पनियों से दावा दर्ज किया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संजय गाँधी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) ने वर्ष 2014-15 के लिए निष्क्रिय भाड़ा का न तो निर्धारण किया और न ही किसी प्रकार का दावा दर्ज किया। यद्यपि वर्ष 2015-17 के लिए अतिरिक्त सीई (एफएम) द्वारा एसईसीएल पर ₹ 0.92 करोड़ का दावा दर्ज किया गया। उक्त राशि को न तो कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया गया और न ही टीपीएस द्वारा रोक कर रखा गया। आगे, अमरकंटक टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम), वर्ष 2014-17 के लिए एसईसीएल पर ₹ 0.51 करोड़ का दावा दर्ज करने में असफल रहे। श्री सिंगाजी टीपीएस के अतिरिक्त सीई (एफएम) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए एसईसीएल पर ₹ 0.65 करोड़ का दावा दर्ज किया लेकिन उक्त राशि को न तो कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया गया और न ही टीपीएस द्वारा रोक कर रखा गया। संबन्धित टीपीएस द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण न करने एवं दावा दर्ज नहीं किए जाने के कारणों को अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि वर्ष 2016-17 के लिए श्री सिंगाजी टीपीएस एवं वर्ष 2014-17 के लिए अमरकंटक टीपीएस का दावा दर्ज किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि कोयला कम्पनियों के साथ दावों का अनुगमन किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 के लिये श्री सिंगाजी टीपीएस एवं अमरकंटक टीपीएस के निष्क्रिय भाड़े के दावों को न तो कोयला आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया गया और न ही टीपीएस द्वारा रोक कर रखा गया। साथ ही वर्ष 2014-15 के लिए संजय गाँधी टीपीएस द्वारा उक्त निष्क्रिय भाड़े के दावों का निर्धारण नहीं किए जाने एवं दावा राशि दर्ज नहीं किए जाने के संबन्ध में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है।

अनुशंसा: कम्पनी को लंबित निष्क्रिय भाड़े के दावों को यथाशीघ्र दर्ज कराया जाना चाहिए एवं इन बकायों के तुरन्त वसूली/समायोजन के लिए प्रभावी अनुगमन करना चाहिए।

लाइजनिंग ठेकेदारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

2.2.20 कम्पनी ने रेलवे द्वारा खदानों से टीपीएस तक कोयले के परिवहन के लिए रेलवे विभाग एवं कोयला कम्पनीयों से लाइजनिंग करने के लिए मासिक सेवा शुल्क के भुगतान पर लाइजनिंग ठेकेदारों को नियुक्त किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन (नवंबर 2010) के निर्देशानुसार, कम्पनी को वार्षिक अनुबंधित मात्रा से अधिक कोयला प्राप्ति के लिए लाइजनिंग ठेकेदार को प्रोत्साहित करना चाहिये था। हालांकि, एमडी की मंजूरी के साथ कम्पनी ने (जुलाई 2011) लाइजनिंग अनुबंध में एक प्रोत्साहन वाक्य सम्मिलित किया जिसके अनुसार ठेकेदार को सालाना अनुबंधित मात्रा की बजाय एमआरपी मात्रा से अधिक कोयले की प्राप्ति के लिए श्रेणीवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त होना चाहिये थी। प्रोत्साहन राशि को एमआरपी से जोड़ने का कारण एमआरपी से अधिक कोयले की प्राप्ति के लिए ठेकेदार द्वारा अधिक प्रयास था। हालांकि, कोयले की प्राप्ति में कमी के मामले में जुर्माना लगाने के लिए कोई वाक्य सम्मिलित नहीं किया गया था। सीई (एफएम) द्वारा पिछले अनुभव का हवाला देते हुए और एमआरपी मासिक अनुबंधित मात्रा से कम होने पर प्रोत्साहन के भुगतान से बचने के लिए, प्रोत्साहन वाक्य को एमआरपी या वार्षिक अनुबंधित मात्रा की मासिक मात्रा जो भी अधिक हो से संयोजित करते हुए संशोधित किया गया (जून 2014)। हालांकि, प्रोत्साहन अभी भी म.प्र.शासन द्वारा निर्देशित वार्षिक अनुबंधित मात्रा से जुड़ा हुआ नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-16 के दौरान, कम्पनी ने एमआरपी मात्रा/ मासिक अनुबंधित मात्रा से अधिक कोयले की प्राप्ति के लिये ठेकेदार को ₹ 0.69 करोड़ का प्रोत्साहन दिया, जबकि वर्ष के दौरान कोयले की कुल प्राप्ति वार्षिक अनुबंधित मात्रा से कम थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि 2011 में प्रोत्साहन वाक्य को सम्मिलित किया गया, जब कोयले की आपूर्ति में कमी थी। वर्तमान स्थिति में, भविष्य के अनुबंधों से प्रोत्साहन को हटाने का प्रस्ताव है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार का निर्देश प्रोत्साहन को वार्षिक अनुबंधित मात्रा के 100 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति से जोड़ने के बारे में स्पष्ट था, जिससे विचलन के कारण ₹ 0.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

- सतपुड़ा टीपीएस ने अपनी मौजूदा इकाईयों की 66 एलएमटी अनुबंधित मात्रा और विस्तार इकाईयों की 18.51 एलएमटी अनुबंधित मात्रा के लिए एक लाइजनिंग अनुबंध किया (जून 2014)। अनुबंध के वाक्य 2.6 के अनुसार, यदि किसी विशेष माह में कोयले की प्राप्ति, एमआरपी मात्रा या मासिक अनुबंधित मात्रा (जैसा कि अनुबंध की वाक्य 2.4 में दिया गया है), जो भी अधिक हो, से अधिक होने पर ठेकेदार मासिक प्रोत्साहन भुगतान के लिए पात्र था।

दिसंबर 2015 के दौरान, कोयले की प्राप्ति मासिक अनुबंधित मात्रा से 0.59 एलएमटी अधिक थी, जिसके लिए टीपीएस द्वारा ठेकेदार को राशि ₹ 0.26 करोड़ के प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने पीएच-4 (विस्तार इकाई) की एमआरपी मात्रा (1.54 एलएमटी) और वास्तविक मात्रा (0.67 एलएमटी) को छोड़कर प्रोत्साहन की गणना के लिए केवल पीएच-2 और 3 (मौजूदा इकाईयों) की एमआरपी और वास्तविक प्राप्ति की मात्रा को विचार में लिया था। अनुबंध स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि प्रोत्साहन की गणना के लिए मौजूदा और विस्तार इकाईयों दोनों की मात्रा ली जाएगी। दिसंबर 2015 के माह के लिए मौजूदा और विस्तार इकाईयों की वास्तविक एमआरपी

मात्रा 3.81 एलएमटी थी, जिसके विरुद्ध कोयले की वास्तविक प्राप्ति केवल 3.53 एलएमटी था, अतः ठेकेदार को कोई प्रोत्साहन देय नहीं था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि प्रोत्साहन की गणना दोनों अनुबन्धों के लिए अलग से की गई थी और अनुबंध के वाक्य की गलत व्याख्या नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइजनिंग अनुबंध (वाक्य 2.6) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वाक्य 2.4 में उल्लेखित मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन की गणना की जाएगी जिसमें दोनों इकाईयों की मासिक अनुबंधित मात्रा सम्मिलित है। कम्पनी की उपरोक्त गलत व्याख्या से भविष्य में भी अनावश्यक प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त भुगतान हो सकता है।

अनुशंसा: कम्पनी को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा विभाग के निर्देशों और लाइजनिंग अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालन करना चाहिए।

कोयला हैंडलिंग

इन-मोशन वेब्रिज के कार्य न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.2.21 श्री सिंगाजी टीपीएस ने जून 2014 से जनवरी 2016 के दौरान दो आपूर्ति आदेशों²⁸ के तहत 4.34 एलएमटी आयातित कोयले की खरीद की। आपूर्ति आदेश के अनुसार, कोयले के लिए भुगतान को इन-मोशन वेब्रिज²⁹ में दर्ज अंतिम वजन के आधार पर विनियमित किया जाना था (वाक्य 7)। यदि टीपीएस में वेब्रिज कार्यशील न हो, तो लोडिंग की जगह पर रेलवे रसीद (आरआर) में दर्ज वजन के आधार पर भुगतान किया जाना था (वाक्य 11)। लेकिन ऐसी स्थिति में, कम्पनी को पारगमन के दौरान हुई कोयले की क्षति के लिए भी भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि श्री सिंगाजी टीपीएस में इन-मोशन वेब्रिज इसकी स्थापना की तिथि से (जुलाई 2014) ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसे तकनीकी रूप से अनुपयुक्त स्थान पर स्थापित किया गया था और तीन वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बावजूद इसमें अब तक कम्पनी द्वारा सुधार नहीं किया गया (अक्टूबर 2017)। परिणामस्वरूप, कम्पनी को पारगमन के दौरान हुई 2,891.10 मेट्रिक टन³⁰ कोयले की क्षति के लिए ₹ 1.96 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। इस भुगतान से बचा जा सकता था यदि इन-मोशन वेब्रिज ठीक से कार्यशील होता।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि पारगमन हानि के लिए अनुबंध में शास्ति वाक्य नहीं था। इन-मोशन वेब्रिज को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जो इसके कामकाज में सुधार करेगा। इसके अलावा, श्री सिंगाजी टीपीएस में आयातित कोयले में पारगमन हानि अन्य टीपीएस के साथ तुलनीय नहीं थी क्योंकि अन्य संयंत्र लंबी दूरी पर स्थित है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोयले के वजन की अनुपस्थिति में कम्पनी पारगमन हानि सहित आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल की गई पूरी मात्रा के लिए भुगतान कर रही थी। इसके अलावा, चूंकि श्री सिंगाजी टीपीएस में इन-मोशन वेब्रिज के सही काम न किए जाने

²⁸ मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (नवंबर 2012 और मार्च 2015) को दिया गया।

²⁹ टीपीएस पर इन-मोशन वेब्रिज का उपयोग उस पर वैगन गुजार कर कोयले के वजन को मापने के लिए किया जाता है।

³⁰ अन्य टीपीएस में आयातित कोयले में पारगमन हानि, सतपुड़ा टीपीएस में आपूर्ति की गई कुल मात्रा 1.70 एलएमटी की 0.66 प्रतिशत और संजय गांधी टीपीएस में आपूर्ति की गई कुल मात्रा 5.27 एलएमटी की 1.29 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा ने सतपुड़ा टीपीएस में दर्ज 0.66 प्रतिशत की न्यूनतम पारगमन हानि को माना है।

के कारण वास्तविक पारगमन हानि की गणना नहीं की जा सकी, लेखापरीक्षा ने अन्य टीपीएस में आयातित कोयले पर न्यूनतम पारगमन हानि लिया है।

अनुशंसा: आयातित कोयले पर पारगमन हानि के आगे के भुगतान से बचने के लिए कम्पनी को इन-मोशन वेब्रिज में कमी को सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

रेलवे को डेमरेज शुल्क का भुगतान और अनलोडिंग ठेकेदार से शंटिंग शुल्क की गैर-वसूली

2.2.22 कम्पनी ने कोयले को समय पर उतारने के लिए अमरकंटक टीपीएस और संजय गांधी टीपीएस (पीएच-1 और 2) में अनलोडिंग ठेकेदार नियुक्त किया था। इसी प्रकार, कोयले को समय पर उतारने सहित अनलोडिंग उपकरणों के रख-रखाव के लिए संजय गांधी टीपीएस (पीएच-3), श्री सिंगाजी और सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) में ओ एंड एम ठेकेदार³¹ नियुक्त किए गए थे। अनुबंध के अनुसार, रेलवे द्वारा लगाए गए डेमरेज और अन्य शुल्कों को ठेकेदार से उस हद तक वसूल किया जाना था, जहां तक वह उत्तरदायी था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(अ) रेलवे ने कोयला रोक के मैकेनिकल अनलोडिंग के लिए पांच घंटे और मैनुअल अनलोडिंग के लिए नौ घंटे का निःशुल्क समय दिया था, इसके बाद के अतिरिक्त प्रति घंटे की देरी के लिये ₹ 150 प्रति वैगन की दर से डेमरेज लगाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 की अवधि के दौरान सभी चार टीपीएस द्वारा 7,495 कोयला रोकों में से 4,627 कोयला रोकों (61.73 प्रतिशत) को अनलोडिंग करने में देरी हुई थी जिसके लिए कम्पनी को ₹ 21.35³² करोड़ का डेमरेज शुल्क देना पड़ा था। आगे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि:

- संजय गांधी टीपीएस ने 2014-17 के दौरान मुख्य रूप से कन्वेयर बेल्ट की सीमित कोयला वहन क्षमता (1,200 टन प्रति घंटा) के कारण 84.55 प्रतिशत रोकों के अनलोडिंग में देरी पर ₹ 13.05 करोड़ का भुगतान डेमरेज पर किया। हालांकि, टीपीएस ने अक्टूबर 2010 में वैकल्पिक कोयला वहन मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव किया था, कॉर्पोरेट कार्यालय में सीई (ओ एंड एम जनरेशन) और सीई (नवीनीकरण और आधुनिकीकरण) तथा संजय गांधी टीपीएस के सीई द्वारा वित्तीय स्रोत की व्यवस्था करने और लागत लाभ विश्लेषण को अंतिम रूप देने में हुई देरी के कारण तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रस्ताव लंबित रखा। अंततः, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन की पहल पर (अक्टूबर 2014) बीओडी की मंजूरी से (जनवरी 2016 को आयोजित 83वीं बैठक), कम्पनी ने मैसर्स एनरगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, गुडगांव (प्रतिस्पर्धी बोली में सबसे कम बोलीदाता) को ₹ 48.90 करोड़ की लागत पर वैकल्पिक कोयला मार्ग के निर्माण के लिए आदेश (फरवरी 2016) दिए, जिसे अक्टूबर 2017 तक पूरा होना था। यह कार्य अक्टूबर 2017 तक पूरा नहीं हुआ³³ था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि मौजूदा सीएचपी की समानांतर प्रणाली के साथ वैकल्पिक कोयला मार्ग का निर्माण बेहद कठिन काम है, और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अक्टूबर 2010 में प्रारम्भ किए गए वैकल्पिक कोयला मार्ग के प्रस्ताव को सीई (ओ एंड एम

³¹ संजय गांधी टीपीएस (पीएच-3) में ओ एंड एम अनुबंध के दायरे में अनलोडिंग उपकरणों के ओ एंड एम और कोयले को समय पर उतारना सम्मिलित थे, जबकि श्री सिंगाजी और सतपुड़ा टीपीएस-4 के मामले में, ओ एंड एम अनुबंध के दायरे में अनलोडिंग उपकरणों के ओ एंड एम और कोयले को समय पर उतारने के अलावा कोयला हैंडलिंग प्लान्ट का ओ एंड एम का कार्य भी सम्मिलित था।

³² संजय गांधी टीपीएस (₹ 13.05 करोड़) + श्री सिंगाजी टीपीएस (₹ 7.51 करोड़) + सतपुड़ा टीपीएस (₹ 0.43 करोड़) + अमरकंटक टीपीएस (₹ 0.36 करोड़)।

³³ आरसीसी कार्य, खुदाई कार्य और फैंब्रिकेशन कार्य प्रगति पर थे।

जेनरेशन), सीई (नवीकरण और आधुनिकीकरण) और संजय गांधी टीपीएस के सीई द्वारा लंबित रखा गया था और कम्पनी ने पांच वर्ष बाद निर्माण प्रारम्भ किया (फरवरी 2016)।

- श्री सिंगाजी टीपीएस ने 2014-17 के दौरान मुख्य रूप से बड़े आकार के कोयला की प्राप्ति के कारण, जिन्हें छोटे टुकड़ों³⁴ में तोड़ने की आवश्यकता थी, रोक को अनलोडिंग के लिए लगाने में देरी और अनलोडिंग उपकरणों के आउटटेज के कारण 54.57 प्रतिशत रोकों की अनलोडिंग में देरी से डेमरेज पर ₹ 7.51 करोड़ व्यय किए थे। कोयले को समय पर उतारने, कोयले के बड़े आकार को तोड़ने और अनलोडिंग सुविधाओं के ओ एंड एम को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) ठेकेदार (मेसर्स एनरगो इंजीनियरिंग) को नियुक्त किया (जनवरी 2015)। ओ एंड एम अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार, देरी के कारण डेमरेज देनदारी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था। अप्रैल 2015 में श्री सिंगाजी टीपीएस में देरी के कारणवार विश्लेषण करने के लिए एक समिति³⁵ का गठन किया गया था और समिति की सिफारिशों के अनुसार जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान ठेकेदार के उत्तरदायी कारणों के लिए ठेकेदार से ₹ 0.28 करोड़ वसूल किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति ने बड़े आकार के कोयला पत्थर/शैल, गीले और चिपचिपे कोयले के कारण कोयले की अनलोडिंग में देरी के लिए उत्तरदायी ओ एंड एम ठेकेदार से ₹ 2.28 करोड़ की वसूली की अनुशंसा नहीं की थी (वाक्य 10)। आगे, ठेकेदार सिस्टम के समग्र रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार था और प्रणाली के आउटटेज/विफलता के कारण वैगनों की अनलोडिंग में देरी के मामले में ठेकेदार से डेमरेज वसूल करना चाहिए था। हालांकि, ओ एंड एम अनुबंध में सिस्टम आउटटेज³⁶ होने के कारण देनदारियों की वसूली के लिए कोई स्पष्ट वाक्य सम्मिलित नहीं था और इसके परिणामस्वरूप सिस्टम आउटटेज के लिए ठेकेदार से ₹ 2.96 करोड़ की देनदारी की वसूली नहीं हो सकी। समिति ने अक्टूबर 2015 के बाद कोई प्रतिवेदन जमा नहीं किया, जिसके कारणों को दर्ज नहीं किया गया था।

उपर्युक्त के विपरीत, 2014-17 के दौरान संजय गांधी टीपीएस (पीएच-3) और सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) ने ओ एंड एम ठेकेदार को इन कारणों के लिए (बड़े आकार के कोयले, पत्थर और सिस्टम आउटटेज) जिम्मेदार ठहराया था और इसके लिए ओ एंड एम अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार डेमरेज शुल्क वसूल किया था। इस प्रकार, संबंधित टीपीएस के सीई, ओ एंड एम अनुबंध के नियमों और शर्तों को लागू करने एवं समय पर कोयले की अनलोडिंग की निगरानी करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को डेमरेज का परिहार्य भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि ओ एंड एम अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार ठेकेदार से देनदारी वसूल की गई थी। डेमरेज शुल्क कर रहित अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक लगाया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तरदायी ठेकेदार से देरी के लिए डेमरेज वसूल नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित श्री सिंगाजी टीपीएस में ₹ 2.28 करोड़ की डेमरेज की गैर-वसूली, ₹ 37.03 करोड़ के अनुबंध मूल्य की 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर थी।

³⁴ चूंकि इस्पात ग्रिड, जिसके द्वारा ट्रैक हॉपर पर कोयला गिराया जाता है, का मानक आकार 250 मिमी है, स्टील ग्रिड से गुजरने से पहले बड़े आकार के कोयले को टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता होती है। बड़े आकार के कोयले और पत्थरों को तोड़ने में देरी रोक के अनलोडिंग का समय बढ़ाती है। ओ एंड एम अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को समय-समय पर बड़े आकार के कोयले और पत्थरों को तोड़ने की आवश्यकता थी, ताकि तय समय में वैगन से कोयले को उतारा जा सके।

³⁵ अतिरिक्त सीई (ओ एंड एम), अधीक्षक अभियंता (सेवा-1) और अधीक्षक अभियंता (सेवाएं-2)।

³⁶ हॉपर जाम, कन्वेयर सिस्टम समस्या, अनलोडिंग उपकरण आउटटेज और क्रश प्रणाली के आउटटेज इत्यादि के कारण वैगनों की अनलोडिंग में देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था।

(ब) पांच घंटे से अधिक समय के लिए टीपीएस साइडिंग में रेलवे लोको को रोककर रखने के मामले में, टीपीएस इंजन घंटों की लागत के आधार पर शंटिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। संजय गांधी टीपीएस और अमरकंटक टीपीएस के पास अपना स्वयं का रेलवे इंजन नहीं था। तदनुसार, संजय गांधी टीपीएस और अमरकंटक टीपीएस द्वारा रेलवे इंजन को टीपीएस साइडिंग में पांच घंटे से अधिक रोककर रखने की स्थिति में शंटिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था।

हालांकि, अमरकंटक टीपीएस ने 2014-17 की अवधि के लिए रेलवे को ₹ 0.85 करोड़ शंटिंग शुल्क के रूप में भुगतान किया, अतिरिक्त सीई (एफएम) ने अनलोडिंग अनुबंध में वाक्य होने के बावजूद ठेकेदार से शंटिंग शुल्क की वसूली की व्यवस्था नहीं की थी (वाक्य 2.2 सी³⁷)।

इसके अलावा, संजय गांधी टीपीएस ने 2014-17 की अवधि के लिए रेलवे को ₹ 20.43 करोड़ का शंटिंग शुल्क का भुगतान किया। हालांकि, अनुबंध में प्रावधान की कमी के कारण, इसे अनलोडिंग करने वाले ठेकेदार से वसूल नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि शंटिंग शुल्क दंड नहीं थे, बल्कि इंजन किराया शुल्क थे। चूंकि ये नियमित शुल्क हैं, वसूली के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के वाक्य 2.2 (सी) के अनुसार रेलवे द्वारा लगाए गए किसी अन्य शुल्क की वसूली ठेकेदार से की जानी थी।

अनुशंसा: कम्पनी को ओ एंड एम/अनलोडिंग अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए और देरी के लिए भविष्य में डेमरेज के भुगतान से बचने के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक कोयला मार्ग कार्य को पूरा करना चाहिए।

कोयला हैंडलिंग प्लांट के परिचालन और रखरखाव शुल्क पर परिहार्य व्यय

2.2.23 श्री सिंगाजी टीपीएस ने मेसर्स एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साथ 13 जनवरी 2015 से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और उसे कार्यशील स्थिति में रखने के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया (फरवरी 2015)।

सतपुड़ा टीपीएस द्वारा मेसर्स मैक नैली भारत इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के साथ इसी तरह के एक अनुबंध (अक्टूबर 2014) में, एक विशिष्ट शर्त सम्मिलित की गयी थी, कि पांच दिनों से अधिक के दिनों के आउटेज के लिये अनुपातिक आधार पर मासिक शुल्क का 70 से 80³⁸ प्रतिशत ही भुगतान किया जाएगा। हालांकि, श्री सिंगाजी टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध में इस तरह के वाक्य को सम्मिलित नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप संयंत्र बंद होने की अवधि के लिए ओ एंड एम ठेकेदार को अनुपातिक कमी किये बिना पूरा भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ है। कम्पनी के पास सीएचपी (ओ एंड एम) कार्यों को निष्पादित करने के लिए समान नियम और शर्तों वाले अनुबंध का कोई मानक रूप नहीं था, हालांकि इन दोनों³⁹ अनुबंधों को एमडी/बीओडी⁴⁰ की पूर्व स्वीकृति के साथ टीपीएस के सम्बंधित सीई द्वारा निष्पादित किया गया था।

³⁷ ठेकेदार को मुक्त समय (पांच घंटे) में बोगियों की अनलोडिंग को सुनिश्चित करना चाहिए एवं वैगन की अनलोडिंग में देरी के कारण जुर्माना, डेमरेज शुल्क और रेलवे द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क को ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए।

³⁸ यदि पीएच की एक इकाई पांच दिनों से अधिक बंद हो जाती है, तो 80 प्रतिशत मासिक शुल्क की अनुमति है और यदि पीएच की दोनों इकाईयां पांच दिनों से अधिक बंद हो जाती हैं, तो मासिक शुल्क के 70 प्रतिशत की अनुमति है।

³⁹ चार टीपीएस में से, सीएचपी (ओ एंड एम) अनुबंध श्री सिंगाजी टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) की एक इकाई में ही निष्पादित किया गया था।

⁴⁰ कम्पनी में अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार, सतपुड़ा टीपीएस (पीएच-4) और श्री सिंगाजी टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध क्रमशः एमडी और बीओडी की मंजूरी से निष्पादित किया गया था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2018) कि श्री सिंगाजी में सीएचपी के ओ एंड एम अनुबंध को जुलाई 2014 में निष्पादित किया गया था। इसके बाद अनुपातिक भुगतान की शर्तों के साथ सतपुड़ा टीपीएस में सीएचपी के ओ एंड एम अनुबंध (अक्टूबर 2014) को निष्पादित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्री सिंगाजी टीपीएस में सीएचपी के ओ एंड एम अनुबंध को फरवरी 2015 में निष्पादित किया गया था, जबकि सतपुड़ा टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध अक्टूबर 2014 में निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, कम्पनी श्री सिंगाजी टीपीएस के ओ एंड एम अनुबंध में सतपुड़ा टीपीएस के ओ एंड एम अनुबंध की अनुकूल शर्तों को सम्मिलित नहीं करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।।

अनुशंसा: कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सभी चार टीपीएस के लिए समान नियम और शर्तों वाले मानक समझौते को अपना सकती है। साथ ही, सतपुड़ा टीपीएस में ओ एंड एम अनुबंध के अनुकूल वाक्य को अन्य टीपीएस के ओ एंड एम अनुबंधों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

कोल मिलों के अतिरिक्त अस्वीकारों पर परिहार्य नुकसान

2.2.24 टीपीएस में कोल मिलों को कोयला पीसने की प्रक्रिया के दौरान ट्रम्प आयरन⁴¹, पाइराइट्स⁴² और अन्य घनत्व सामग्री को अस्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। कोल मिल अस्वीकारों को, संयन्त्र के पास नजदीकी यार्ड में रखा जाता है और संग्रहित होने पर बेचा जाता है। कम्पनी ने कोल मिलों के अस्वीकारों के लिये प्रबंधित कोयले के एक प्रतिशत की ऊपरी सीमा तय की थी।

सतपुड़ा टीपीएस पीएच-3 और 4 को छोड़कर सभी टीपीएस में कोल मिल अस्वीकारों की मात्रा मानदंडों के अन्दर थी। सतपुड़ा टीपीएस पीएच-3 में 2014-17 के दौरान 0.13 एलएमटी के अतिरिक्त कोल मिल अस्वीकार थे, जिसका मूल्य ₹ 3.36 करोड़ था। इसी तरह, 2014-15 के दौरान सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 में 0.40 एलएमटी के अतिरिक्त कोल मिल अस्वीकार थे, जिसका मूल्य ₹ 10.38 करोड़ था। अतिरिक्त कोल मिल अस्वीकार के कारण⁴³ अधिक बारीकी और उच्च नमी, कम वायु प्रवाह और कम मिल आउटलेट तापमान के कारण अनुचित संचालन, रखरखाव में देरी और कोल मिल के खराब पुर्जों का गैर-प्रतिस्थापन थे, जो टीपीएस के सीई द्वारा उचित संचालन और कोल मिलों के रखरखाव के द्वारा नियंत्रित किये जा सकते थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बीओडी ने कोयले मिल अस्वीकार की स्थिति की निगरानी नहीं की और टीपीएस स्तर पर संबंधित सीई द्वारा इसकी निगरानी की गयी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि पुरानी इकाइयों में कोल मिल अस्वीकारों में निरंतर कमी आई है और मिलों के उचित रखरखाव, पीसने वाले पुर्जों के समय पर प्रतिस्थापन और बाह्य सामग्री को बाहर निकालने एवं अशुद्धता इत्यादि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सतपुड़ा टीपीएस-4 की स्थापना 2013-14 के दौरान की गयी थी और संचालन के प्रारंभिक चरण के दौरान प्रारंभिक समस्याएं थीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी इन इकाइयों में कोयले मिल अस्वीकारों को निर्धारित सीमाओं में रखने में विफल रही है। अन्य इकाइयों की श्रेष्ठ प्रथाओं का पालन करके सतपुड़ा टीपीएस पीएच-3 और पीएच-4 के कोल मिल अस्वीकारों को मानदंडों के अन्दर रखने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

⁴¹ स्ट्रैंड धातु कणों या वस्तुओं जैसे स्टेपल्स, बालिंग वायर और नेल्स इत्यादि।

⁴² एक चमकीला पीला खनिज जिसमें लौह डाइसल्फाइड होता है।

⁴³ कोल मिल के परिचालन मैनुअल के अनुसार, कम्पनी द्वारा किए गए कारण विश्लेषण और लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की परीक्षा के आधार पर किये गये विश्लेषण के अनुसार।

अनुशंसा: कम्पनी को परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

कोयले की खपत

2.2.25 चूंकि कोयला लागत बिजली उत्पादन की लागत का एक प्रमुख घटक है, किसी भी टीपीएस के लिए कुशल और मितव्ययी कोयले की खपत आवश्यक है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने सकल स्टेशन ताप दर (एसएचआर)⁴⁴ के लिए संयंत्र विशिष्ट मानदंड तय किए थे। उच्च एसएचआर के कारण बिजली उत्पादन में अधिक ताप आवश्यकता के कारण कोयले की अधिक खपत होती है। कोयले की खपत के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

उच्च स्टेशन ताप दर के कारण अतिरिक्त कोयले की खपत

2.2.26 एमपीईआरसी (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2012 और 2015 के अनुसार, उच्च एसएचआर के कारण अतिरिक्त कोयले की खपत का मूल्य कम्पनी द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए और बिजली उपभोक्ताओं से नहीं वसूलना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-17 के दौरान अमरकंटक टीपीएस को छोड़कर सभी टीपीएस में वास्तविक एसएचआर निर्धारित मानदंडों से अधिक था। उच्च एसएचआर के परिणामस्वरूप 2014-17 के दौरान ₹ 866.12 करोड़ मूल्य के 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।

कम्पनी द्वारा विश्लेषण किए गए उच्च एसएचआर और परिणामस्वरूप अतिरिक्त कोयले की खपत के कारण थे: निधि की कमी⁴⁵ के कारण टीपीएस का अपर्याप्त रखरखाव और समय पर ओवरहालिंग सुनिश्चित करने में विफलता, बिजली संयंत्र की आंशिक लोडिंग, बार बार फोर्स शट डाउन, कोल मिलों का खराब प्रदर्शन, अनुशंसित तकनीकी मानकों⁴⁶ जैसे दबाव, तापमान, कंडेनसर वैक्यूम, ईंधन और वायु अनुपात से विचलन। उपर्युक्त कारकों को टीपीएस के पर्याप्त और समय पर रखरखाव और ओवरहालिंग, संयंत्र की इष्टतम लोडिंग और अनुशंसित तकनीकी मानकों को बनाए रखकर नियंत्रित किया जा सकता था। बीओडी नियमित रूप से सीई (एफएम) द्वारा प्रस्तुत स्थिति प्रतिवेदन के माध्यम से एसएचआर की स्थिति की निगरानी करते हैं लेकिन उच्च एसएचआर के कारण और सुधारात्मक कार्यों के लिए बीओडी बैठकों में चर्चा नहीं की गई थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि एमपीईआरसी मानदंड वर्ष दर वर्ष कड़े हो रहे थे और एमपीईआरसी द्वारा इकाईयों की बढ़ती उम्र पर विचार नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, कोयले की खराब गुणवत्ता और लगातार रिजर्व शट डाउन (आरएसडी)⁴⁷ उच्च एसएचआर के मुख्य कारण थे, जो कम्पनी के नियंत्रण से बाहर हैं।

⁴⁴ सकल स्टेशन ताप दर का अर्थ है ताप विद्युत जनरेटिंग स्टेशन के जनरेटर टर्मिनल पर विद्युत ऊर्जा की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक किलो कैलोरी में ताप उर्जा इनपुट।

⁴⁵ परिचालन मानदंडों अर्थात् एसएचआर, ईंधन तेल इत्यादि की अप्राप्ति के कारण जनरेशन टैरिफ के माध्यम से व्यय की कम वसूली एवं मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा बिजली खरीद बिलों के भुगतान में देरी के चलते धन की कमी थी। 2014-17 के दौरान, टीपीएस को मरम्मत और रखरखाव के लिए ₹ 549 करोड़ के औसत वार्षिक धन की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध बीओडी ने ₹ 293 करोड़ आवंटित किया था।

⁴⁶ कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा सभी टीपीएस के लिए एसएचआर में कमी हेतु विभिन्न तकनीकी मानकों को सम्मिलित करते हुये दिशानिर्देश जारी किये (अप्रैल 2014)।

⁴⁷ मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) प्रणाली के अनुसार, कम उत्पादन लागत वाले स्टेशनों को उत्पादन के लिए शेड्यूलिंग दी जाएगी और अधिक उत्पादन लागत वाली इकाईयां रिजर्व शट डाउन (आरएसडी) हो जाएंगी, यानि बिजली उत्पादन बंद हो जायेगा। एमओडी प्रणाली कम्पनी के सभी टीपीएस और म. प्र. के निजी बिजली उत्पादकों पर लागू थी।

एमपीईआरसी मानदंडों से विचलन के कारण 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 866.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमपीईआरसी ने इसी तरह की इकाईयों के प्रदर्शन, उपकरणों की उम्र, संचालन की प्रकृति और पिछले प्रदर्शन पर विचार करने के बाद मानदंड तय किए थे। इसके अलावा, धन की कमी के कारण पुरानी इकाईयों की पर्याप्त मरम्मत और रखरखाव नहीं किया जा रहा था। आगे, कोयले के अनुचित भण्डारण और रिक्लेमिंग के कारण उत्पादन केंद्रों पर कोयला प्राप्त होने के बाद कोयले की गुणवत्ता कम होती है, इसलिये कोयले की प्राप्ति के बाद की जीसीवी और उत्पादन केंद्र में प्रयोग कोयले की जीसीवी के बीच अधिक अंतर था। एमओडी सिस्टम के प्रारम्भ से पहले भी एसएचआर अधिक था और कम्पनी ने रिजर्व शट डाउन के कारण उच्च एसएचआर पर प्रभाव का अलग से मूल्यांकन नहीं किया।

अनुशंसाएं: (1) कम्पनी को एसएचआर के संबंध में परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। (2) कम्पनी की आवश्यक गतिविधियों के लिए धन की कमी से बचने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) द्वारा ऊर्जा के बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को कम्पनी और एमपीपीएमसीएल के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा

2.2.27 फर्नेस में आवश्यक कोयले की बारीकी और वायु-ईंधन अनुपात नहीं होने के परिणामस्वरूप कोयले का अनुचित दहन होता है, जिसके कारण राख में अधजला कोयला कण निकलता है। बॉयलर का डिजाइन पैरामीटर राख में अधजले कोयले के कणों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 की अवधि के दौरान, राख में अधजले कोयले की मात्रा सभी टीपीएस (अमरकंटक टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस पीएच-2 और 3 को छोड़कर) में मानदंडों से अधिक थी, जिसमें तीन नए स्थापित पीएच⁴⁸ भी सम्मिलित थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.54 करोड़ मूल्य के 0.93 एलएमटी कोयले की बर्बादी हुई। सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 में अधजले कोयले का प्रतिशत अधिकतम था, जो कि 2014-17 की अवधि के दौरान उत्पन्न कुल राख का 1.13 प्रतिशत से 2.35 प्रतिशत के बीच था।

राख में अधिक अधजले कोयले के कारण⁴⁹ थे, बारीक कोयले के वितरण में कोयले का अनियमित आकार तथा कोयले के कण की आवश्यक बारीकी और आवश्यक वायु ईंधन अनुपात नहीं रखने के कारण फर्नेस में खराब दहन। अधजले कोयले की हानि को कोल मिलों के नियमित ओ एंड एम और पर्याप्त वायु ईंधन अनुपात और कोयला कण की बारीकी को बनाए रख कर कम किया जा सकता है।

इसके अलावा, टीपीएस के रसायनज्ञ द्वारा तैयार की गई रासायनिक रिपोर्टों के माध्यम से टीपीएस के संबंधित सीई अधजले कोयले की स्थिति की निगरानी करते हैं। हालांकि, रासायनिक प्रतिवेदन में राख में अधजले कोयले का केवल वास्तविक प्रतिशत था और कोई बेंचमार्क का उल्लेख नहीं किया गया था। राख में अधिक अधजले कोयले के कारणों पर भी रासायनिक प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई थी। इसके अलावा, पर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) नहीं थी जो बीओडी को संयंत्र स्तर के परिचालन मुद्दों की रिपोर्ट करती है।

⁴⁸ श्री सिंगाजी टीपीएस पीएच-1 (फरवरी 2014), संजय गांधी टीपीएस पीएच-3 (जून 2007) और सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 (अगस्त 2013)।

⁴⁹ परिचालन मैनुअल में निर्धारित तकनीकी मानकों और टीपीएस द्वारा किए गए कारणों के विश्लेषण के आधार पर।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि राख में अधिक अधजले कोयले के मुख्य कारण आंशिक भार पर इकाईयों को चलाना, बार बार रिजर्व शटडाउन होना, धन की कमी के कारण पुरानी इकाईयों के व्यापक आर एंड एम को आगे बढ़ाना इत्यादि थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संजय गांधी टीपीएस पीएच-3, श्री सिंगाजी टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस पीएच-4 नई स्थापित इकाईयां थीं, जिसमें 2014-17 के दौरान राख में अधजला कोयला मानक से अधिक था। इसके अलावा, एमओडी जोकि अक्सर इकाईयों के रिजर्व शट डाउन होने का कारण था, के प्रारम्भ से पहले 2014-15 में भी राख में अधजला कोयला मानदंडों से अधिक था।

अनुशंसा: राख में अधजले कोयले के संबंध में परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए कम्पनी को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

राख प्रबंधन

2.2.28 टीपीएस के बॉयलर में कोयले के दहन के बाद, अपशिष्ट के रूप में राख उत्पन्न होती है। भट्टी के तल पर कुल राख का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा एकत्र किया जाता है जिसे स्लरी के रूप में राख तालाब में भेज दिया जाता है, को तल राख कहा जाता है। राख का शेष भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)⁵⁰ के माध्यम से राख को सिलोस में एकत्र किया जाता है, को फलाई राख कहा जाता है। लेखापरीक्षा ने राख प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित देखा।

पर्यावरण संरक्षण पर सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना

2.2.29 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसी), भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की (सितंबर 1999) जिसमें कोयले पर आधारित टीपीएस से फलाई राख के उपयोग के संबंध में निर्देश सम्मिलित थे, जिसे बाद में नवंबर 2009 में संशोधित किया गया था।

- निर्देशों के अनुसार, अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर टीपीएस के 100 प्रतिशत फलाई राख का उपयोग किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 की अवधि के दौरान संजय गांधी टीपीएस, अमरकंटक टीपीएस और सतपुड़ा टीपीएस में राख का उपयोग केवल 40.67 से 78.41 प्रतिशत की सीमा में था। श्री सिंगाजी टीपीएस के संबंध में 50, 70 और 90 प्रतिशत का लक्ष्य परिचालन के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए तय किया गया था, जबकि राख का उपयोग केवल क्रमशः एक, तीन और 14 प्रतिशत था। राख के कम उपयोग के लिए लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए मुख्य कारण इसकी अधिक परिवहन लागत और कम मांग थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बीओडी ने सतपुड़ा टीपीएस को छोड़कर अन्य टीपीएस के राख उपयोग की निगरानी नहीं की थी।
- सभी टीपीएस को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एमओईएफसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिसूचना की दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर राख के निपटान के लिए कार्य योजना तैयार करके जमा करनी थी। हालांकि, 17 वर्ष की देरी के बाद और लेखापरीक्षा के इंगित करने के बाद कम्पनी ने अक्टूबर 2017 में सभी चार टीपीएस के लिए कार्य योजना तैयार की।
- अधिसूचना के पैरा 2(7) के अनुसार कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन में अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में वार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन होनी चाहिए। हालांकि, कम्पनी ने इसका पालन नहीं किया।

⁵⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक निस्पंदन उपकरण है जो बहने वाली गैस से धूल और धुंए जैसे बारीक कणों को हटा देता है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि अधिसूचना के पैरा 2(7) के अनुपालन में, वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाएगा। टीपीएस के पास के सीमेंट और ईट निर्माता फलाई राख का उपयोग कर रहे हैं और कम्पनी अन्य एजेंसियों से अपनी गतिविधियों में राख का उपयोग करने के लिए प्रयास/संपर्क कर रही है।

तथ्य यथावत् रहा कि उचित राख प्रबंधन के लिए सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

अनुशंसा: कम्पनी को राख के उपयोग के संबंध में पर्यावरण मानदंडों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

ईंधन तेल की खपत

2.2.30 ईंधन तेल मुख्य रूप से टीपीएस के स्टार्ट-अप के लिए और कोयले की निम्न गुणवत्ता के मामले में आवश्यक ताप को बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। एमपीईआरसी ने प्रत्येक पावर हाउस (पीएच) के लिए ईंधन तेल की खपत के लिए मानदंड पिछले प्रदर्शन, इसी तरह की इकाईयों के प्रदर्शन, ईंधन, उपकरणों की आयु और संचालन की प्रकृति पर विचार करते हुये निर्धारित किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-17 की अवधि के दौरान, कम्पनी के टीपीएस (संजय गांधी टीपीएस पीएच-3 और अमरकंटक टीपीएस को छोड़कर) ने मानदंडों से अधिक ₹ 95.80 करोड़ मूल्य के 20,123 किलो लीटर ईंधन तेल का उपभोग किया। कम्पनी द्वारा विश्लेषण⁵¹ किए गए अतिरिक्त ईंधन खपत के कारण थे: नियमित स्टार्ट-अप पर तेल की अधिक खपत, बार बार संयंत्र का बंद होना, आंशिक लोडिंग, कोयला प्रवाह में व्यवधान⁵² एवं कोल मिल का आउटेज। इनके कारण अपर्याप्त रखरखाव के कारण उपकरण के आउटेज और बिजली की कम मांग के कारण रिजर्व शट डाउन थे।

सीईए की अनुशंसा के अनुसार, ईंधन तेल का उपयोग टीपीएस के स्टार्ट-अप पर करना चाहिए, लेकिन टीपीएस ने अन्य आवश्यकताओं⁵³ के लिए भी ईंधन तेल का उपयोग किया था। पर्याप्त प्राथमिक ईंधन आपूर्ति के प्रबंधन, बिजली संयंत्र की उचित लोडिंग और नियमित रखरखाव और बिजली संयंत्र की ओवरहालिंग से ईंधन की अधिक खपत कम हो सकती थी। धन की कमी⁵⁴ के कारण पर्याप्त रखरखाव और ओवरहाल नहीं किया गया था। इसके अलावा, एमओडी आधारित बिजली की बिक्री के कारण, कम्पनी अपने बिजली संयंत्र को अधिक उत्पादन लागत के कारण नियमित रूप से और पूरी क्षमता पर नहीं चला पाई जिसके परिणामस्वरूप बार बार शट डाउन हुआ और इसके परिणामस्वरूप तेल खपत अधिक हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ईंधन तेल खपत की स्थिति प्रतिवेदन नियमित रूप से सीई (एफएम) द्वारा बीओडी में रखी जाती है, लेकिन अधिक तेल खपत के कारणों और सुधारात्मक कार्रवाई पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017/अप्रैल 2018) कि एमपीईआरसी ने इकाईयों के पुरानी होने के बावजूद ईंधन तेल खपत का मानक घटाया (2009-10)। आगे यह कहा गया था कि रिजर्व शट डाउन होने के कारण इकाईयों को बार बार चालू करने और बंद करने से तेल की खपत में वृद्धि हुई है।

एमपीईआरसी मानदंडों से विचलन के कारण 20,123 किलो लीटर ईंधन तेल की अतिरिक्त खपत हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

⁵¹ अतिरिक्त तेल खपत के कारणों का विश्लेषण टीपीएस स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियंता (ऑपरेशन) दैनिक आधार पर और कॉर्पोरेट कार्यालय में सीई (एफएम/जनरेशन) द्वारा किया गया था।

⁵² बरसात के मौसम के दौरान, कोयले के चिपचिपा और गीला होने के कारण कोयले के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

⁵³ कोयला प्रवाह में व्यवधान, कोल मिलों का आउटेज, टीपीएस का शट डाउन और लौ स्थिरीकरण के कारण तेल की आवश्यकता।

⁵⁴ 2014-17 के दौरान टीपीएस द्वारा भेजे गए आर एंड एम के लिए धन की आवश्यकता को धन की कमी के कारण काफी कम कर दिया गया और कम्पनी नियमित रूप से अपने दैनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यशील पूंजी ऋण ले रही थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमपीईआरसी ने इसी तरह की इकाइयों के प्रदर्शन, उपकरणों की आयु और संचालन की प्रकृति पर विचार करने के बाद मानदंड तय किए हैं। इसके अलावा, सितंबर 2015 में एमओडी जो अक्सर रिजर्व शट डाउन का कारण थी, के प्रारम्भ से पहले भी तेल खपत मानदंडों की तुलना में अधिक थी।

अनुशंसा: ईंधन तेल की खपत के संबंध में परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए कम्पनी को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

निष्कर्ष

- प्रबंधन सूचना प्रणाली कमजोर थी एवं उपचारात्मक कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे निदेशक मंडल को सूचित नहीं किये गये।
- अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की दो बंद इकाइयों के लिए कोयले की अनुबंधित मात्रा को कम करने में कम्पनी की विफलता के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान 6.27 एलएमटी कोयला के कम उठाव के कारण ₹ 17.21 करोड़ के मुआवजे की परिहार्य देयता निर्मित हुई।
- टीएसपीएस के बीच कोयले के विनिमय में विफलता के कारण, कम्पनी श्री सिंगाजी टीपीएस में डब्ल्यूसीएल के 18.05 एलएमटी कोयले का उपयोग नहीं कर सकी, जबकि डब्ल्यूसीएल की खदानें एसईसीएल की खदानों की तुलना में श्री सिंगाजी टीपीएस के नजदीक स्थित थीं, परिणामस्वरूप ₹ 80.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- अनुबंधों में कोयले की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने में विफलता के कारण, कम्पनी द्वारा डब्ल्यूसीएल के एक अनुबंध में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण प्रोत्साहन देने एवं अन्य अनुबंध में कोयले के कम उठाव के कारण मुआवजा देने का दायित्व था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.96 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।
- मई 2015 से जून 2016 के दौरान कम्पनी ने 12.68 एलएमटी स्वदेशी कोयले का कम उठाव किया जबकि, 1.76 एलएमटी आयातित कोयले को उच्च लागत पर खरीदा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- कम्पनी रेलवे को माल ढुलाई के भुगतान के लिए बैंकों के साथ एक केंद्रीकृत ई-भुगतान खाता बनाए रखने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 2014-17 की अवधि के दौरान ₹ 45.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को अवरुद्ध धन पर ₹ 6.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- कम्पनी निर्धारित समय सीमा के अन्दर कोयला रोक की अनलोडिंग करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप 2014-17 के दौरान रेलवे को ₹ 21.35 करोड़ डेमरेज शुल्क के का परिहार्य भुगतान हुआ।
- वर्ष 2014-17 के दौरान अमरकंटक टीपीएस (2015-17) को छोड़कर सभी थर्मल पावर स्टेशनों में वास्तविक स्टेशन ताप दर (एसएचआर) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। अधिक एसएचआर के परिणामस्वरूप 2014-17 के दौरान ₹ 866.12 करोड़ मूल्य के 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।
- कम्पनी के टीपीएस ने निर्धारित मानदंडों की तुलना में 20,123 किलो लीटर के अतिरिक्त ईंधन तेल का उपभोग किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।